खण्ड: 4, अंक: 7 जुलाई 2021

संश्लेषण

डी सी आर सी मासिक पत्रिका

जनसंख्या नियंत्रण बनाम प्रबंधन
सरोकार, समस्या एवं समाधान

डी.सी.आर.सी.
विकासशील राज्य शोध केंद्र
दिल्ली विश्वविद्यालय

मुख्य संपादक

प्रो. सुनील के चौधरी

संपादकीय मंडल

डा. रमेश भारद्वाज
डा. संध्या वर्मा
डा. महेश कौशिक

डा. अभिषेक नाथ
आशीष कुमार शुक्ला
राम किशोर

© डीसीआरसी 2021

रूपांकनः काजल

संश्लेषण

जनसंख्या नियंत्रण बनाम प्रबधनः सरोकार, समस्या एवं समाधान

अनुक्रमिका

संपादकीय		i-ii
1. जनसंख्या नियंत्रण नीतिः भारत में परिवार नियोजन नीति का महत्व	– शंभू	1–4
2. भारत में जनसंख्या वृद्धिः समस्या एवं समाधान	– राम किशोर	5–10
3. जनसंख्या नियंत्रणः आवश्यकता अथवा राजनीति	– नरेंद्र कुमार	11–15
4. भारत एवं चीन की जनसंख्या नियन्त्रण नीतिः एक सामान्यीकरण	– चित्रा राजौरा	16–20
5. भारतीय जनसंख्या परिदृश्यः जनसंख्या नियंत्रण हेतु समझ	– डॉ० अमित अग्रवाल	21–24
6. जनसंख्या वृद्धिः समस्या, नीति और स्त्रोवादी विमर्श	– निशांत यादव	25–29
7. जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपायः राजनीतिक कानून अथवा सार्वजनिक कर्तव्य	– राजेन्द्र कुमार	30–31
8. जनसंख्या प्रबंधन कार्यक्रमः राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का एक विश्लेषण	– काजल	32–37
9. जनसंख्या नीति एंव नियोजनः एक अनुकूल व आवश्यक पहल	– सृष्टि	38–41
10. भारत में जनसंख्या नीतिः कारण, प्रभाव और समाधान	– सुशांत यादव	42–45

सम्पादकीय

विकासशील राज्य शोध केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय की हिंदी मासिक पत्रिका संश्लेषण के प्रकाशन की निरंतरता को बनाए रखते हुए इसके इस 36वें अंक को आप सभी सुधी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह पत्रिका अपने उद्देश्य के अनुरूप समसामयिक विषयों पर विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के वैचारिक प्रकटीकरण को निरंतर मंच प्रदान करती रही है। यह हिंदी भाषा में लेखन एवं प्रकाशन में व्याप्त रिक्तता को समाप्त करने में अपना अमूल्य योगदान बनाए हुए हैं।

वर्तमान विश्व जिन विभिन्न गंभीर समस्याओं से जूझता दिखाई पड़ रहा है उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं संभवतः अन्य समस्त समस्याओं की जननी के रूप में जनसंख्या वृद्धि की समस्या है। चूंकि यह एक वैश्विक समस्या है अतः भारत भी इससे अछूता नहीं हैं। जनसंख्या वृद्धि के संबंध में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत एक प्रतिवेदन के अनुसार भारत 2027 तक विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। यह अनुमान जिस गंभीर संकट की ओर संकेत कर रहा है, विगत कुछ समय से उसके समाधान के लिए विभिन्न स्तरों पर नीतिगत प्रयासों की मांग तीव्र हो गई है। फलस्वरूप भारत में एक कठोर जनसंख्या नीति की मांग दीघकाल से की जाती रही है, जिसके द्वारा इसकी बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके।

यद्यपि जनसंख्या नियंत्रण की यह परिस्थितिजन्य मांग उचित है, परंतु इस मांग के दीर्घकालिक परिणामों के विषय में किसी प्रकार का कोई विमर्श दिखाई नहीं देता। बहुत से देशों में, जहाँ जनसंख्या नियंत्रण की नीति का दीर्घकाल से पालन किया जाता रहा है, विभिन्न कारणों से वर्तमान में इन नियमों को उदार बनाया गया है। इस कारण विद्वानों का एक पक्ष नियंत्रण के स्थान पर प्रबंधन को प्रमुखता देता है। वास्तविकता यह है कि भारत ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व के लिए जनसंख्या नियंत्रण की जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता जनसंख्या प्रबंधन की है जिससे जनसंख्या तथा उपलब्ध संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित किया जा सके। दूसरी ओर, भारत जैसे बहु–धार्मिक, बहु–सांस्कृतिक समाजों में इस विषय पर विभिन्न धार्मिक– राजनीतिक आपत्तियो ने इसकी गंभीरता को और अधिक बढ़ावा दिया है

विषय की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अंक जनसंख्या नियंत्रण एवं जनसंख्या प्रबंधन के विभिन्न पक्षों यथा– सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर केंद्रित गंभीर लेखन को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिनके माध्यम से इस विमर्श को और अधिक व्यापकता एवं स्पष्टता प्रदान की जा सकी है। इस संदर्भ में संपादक मंडल द्वारा कुछ उत्कृष्ट लेखों का चयन किया गया है। ये समस्त लेख ना केवल भारत में जनसंख्या नियंत्रण के साथ–साथ प्रबंधन की नीति एवं राजनीति को संबोधित करते हैं, अपितु इसकी आवश्यकता एवं प्रासंगिकता को भी प्रस्तुत करते हैं।

प्रस्तुत अंक में प्रकाशित समस्त लेख मौलिक हैं तथा संपादकीय मंडल ने इनकी मौलिकता को किसी भी रूप में प्रभावित एवं परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया है। आप समस्त पाठकों द्वारा इस अंक के संबंध में प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम संश्लेषण के आगामी अंकों में और अधिक गुणवत्ता लाने का प्रयास निरंतर करते रहेंगे।

संपादक मंडल

शनिवार, 14 अगस्त 2021

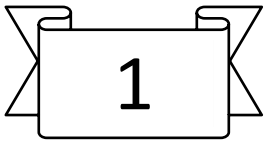

जनसंख्या नियंत्रण नीतिः भारत में परिवार नियोजन नीति का महत्व

शंभू

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में चीन के पश्चात् द्वितीय सबसे बड़ा देश है जिसकी वर्तमान में जनसंख्या वर्ष 2021 के आंकड़ो के अनुसार 1,392,700,000 लगभग 140 करोड़ हैं। सरकारी आंकड़ो पर दृष्टि डाले तो हम पाएंगे कि भारत की जनसंख्या प्रत्येक 20 दिन में 1,00,000 बढ़ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिये गए प्रतिवेदन में यह दावा किया गया हैं कि भारत चीन को पीछे कर वर्ष 2027 तक विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा।

भारत विकासशील देशो की सूची में सम्मिलित हैं तथा भारत में संसाधनो की उपलब्धता अत्यधिक सीमित हैं। निरंतर जनसंख्या वृद्धि भारत के विकास के लिए एक चुनौती है। और एक विकासशील देश में निरंतर बढ़ रही जनसंख्या वृद्धि उसके सम्पूण विकास के लिए एक समस्या हैं। जनसंख्या वृद्धि ने सीमित संसाधनो के दोहन का स्वरूप को बढ़ा दिया हैं, दीपक नय्यर और योगेंद्र यादव जैसे विद्वान भी यह इंगित करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से श्रमिक रोजगार की खोज में अब शहरो की ओर आगमन करने लगे है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण के राज्यो से ग्रामीण श्रमिक दिल्ली, मुंबई व चेन्नई जैसे शहरों में पलायन कर दैनिक मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पोषण करने तथा अमानवीय वातावरण नें रहने को विवश है। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक विकास के मार्ग को कुंठित करती हैं। सीमित संसाधनो पर बढ़ती जनसंख्या का बोझ विकास के मार्ग में बाधक हैं।

संक्षिप्त रूप से कहा जाए तो जनसंख्या वृद्धि सीमित संसाधनो के दोहन की गति को बढ़ा देती हैं जिसके कारण संसाधनो पर अधिक बोझ पड़ता हैं और संसाधनो की उपलब्धता सीमित होने के कारण नागरिकों के स्वयं का सम्पूर्ण विकास करने के अवसर सीमित हो जाते हैं और इस मार्ग में आवश्यकताओं की वस्तुओ के अभाव की स्थिति जन्म लेती हैं और यह अभाव की स्थिति व्यक्ति से लेकर समुदाय, समाज और राष्ट्र के विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं।

भारत में परिवार नियोजन के प्रति अधिकांश भारतीय जागरूक नही है विशेष रूप से ग्रामीण भारतीय परिवार नियोजन के प्रति जागरूक नहीं हैं। ग्रामीण महिलाओं में परिवार नियोजन के लिए निरोध के उपयोग का ज्ञान न्यून हैं। भारत में अशिक्षा व अज्ञानता परिवार नियोजन की असफलता का एक विशेष कारण हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण के प्रति सचेत प्रतीत होती है। वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रिय स्तर पर "राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम" को लागू किया गया। परिवार नियोजन पर आधारित इस नीति को लागू करने वाला भारत विश्व में

प्रथम देश बना। इस नीति का उद्देश्य परिवार नियोजन द्वारा जन्म पर नियंत्रण स्थापित कर उपस्थित जनसंख्या का आर्थिक व सामाजिक विकास सुनिश्चित करना था।

भारत में जनसंख्या नियंत्रण नीति के प्रति राष्ट्रीय नेताओ तथा समाज सुधारको के विचारो में विविधिता देखी गयी है, जहां एक ओर वर्ष 1921 में समाज सुधारक प्रो. रघुनाथ कर्वे नें परिवार नियोजन और जन्म नियंत्रण को प्राथमिकता देते हुए समाज स्वास्थ नामक पत्रिका 1921–1953 प्रकाशित की इस पत्रिका में समाज को परिवार नियोजन के लिए जागरूक किया तथा जन्म नियंत्रण के लिए निरोध के उपयोग का समर्थन किया। दूसरी और महात्मा गांधी जी परिवार नियोजन के लिए निरोध जैसे उपकरणों के उपयोग किए जाने के विरोधी थे। गांधी जी का मानना था की परिवार नियोजन के लिए स्वरू नियंत्रण जैसे विचारो को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वहीं वेंकटा रामास्वामी का मानना था कि परिवार नियोजन व जन्म नियंत्रण के माध्यम से महिलाएं स्वयं के जीवन को स्वतः नियंत्रित कर सकती हैं।

1970 के दशक में भारत की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इन्दिरा गांधी द्वारा परिवार नियोजन के लिए हम दो हमारे दो का आदर्श वाक्य दिया गया। हम दो हमारे दो के आदर्श वाक्य की रचना मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कवि बालकवि बैरागी जी नें की थी। 1970 के दशक में परिवार नियोजन पर आधारित यह आदर्श–वाक्य लोकप्रिय हो गया। गलियों से लेकर सरकारी अस्पतालो तक हम दो हमारे दो का आदर्श वाक्य लिखा जाने लगा। आपातकाल के दौर में संजय गांधी के आदेश पर बलपूर्वक नसबंदी को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया गया जिससे कि परिवार नियोजन के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि की गति को कम किया जा सके। आपातकाल के दौरान बलपूर्वक नसबंदी के नाम पर अविवाहित पुरुषो की भी बल से नसबंदी कर दी गयी जिसकी आलोचना की जाती रही कि परिवार नियोजन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया यह निर्णय गलत था।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित की गई सभी राष्ट्रीय नीतियां उचित रूप से क्रियान्वित नही की गयी, अशिक्षा तथा अज्ञानता क कारण परिवार नियोजन की नीति प्रत्येक भारतीय से आधारिक स्तर से नही जुड़ पाई जिसके कारण परिवार नियोजन एक प्रकार से भारत अपने निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया हैं तथा भारत की जनसंख्या में वृद्धि अभी भी तीव्र गति से जारी हैं जिसके कारण देश के विकास मे बाधा उत्पन्न हो रही हैं।

वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के पश्चात भारतीय राजनीति की सत्ता का नेतृत्व भारतीय जनता दल के रूप में राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक गठबंधन को मिला। भारतीय जनता दल की सरकार नें जनसंख्या वृद्धि को एक समस्या के रूप में देखा। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने व परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नए कठोर जनसंख्या नियंत्रण नीति को लाने की वकालत की जिससे कि आगामी समस्याओ का निवारण किया जा सके और विकास को ओर अधिक सुगम रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

वर्ष 2017 में असम राज्य नें परिवार नियोजन को ध्यान में रखते हुए दो बच्चों की नीति को कठोर रूप से लागू किया और 2 बच्चों से अधिक बच्चों होने पर परिजनो को सरकारी नौकरी से वंचित किए जाने का कठोर प्रावधान किया। छत्तीसगढ़ नें भी वर्ष 2001 से 2005 तक दो बच्चों की नीति को लागू रखा। वर्ष 2014 से भारत के 11 राज्यो नें दो बच्चों की नीति को लागू किया हैं परिवार में बच्चों की संख्या को 2 या 2 से कम की जा सके।

भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय परिवार नियोजन से संबन्धित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने परिवार नियोजन नीति को अनिवार्य माना जिससे कि 21वीं शताब्दी तक भारत की जनसंख्या को 2 मिलियन से कम पर रोका जा सके। वर्ष 2017 मे परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नें परिवार विकास कार्यक्रमों को लागू किया। इन कार्यक्रमों के द्वारा भारत में वर्ष 2025 तक जनन दर को 2–1 तक लाने का उद्देश्य रखा गया तथा सहेली दवाई को सरकारी अस्पतालो में निशुल्क उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया।

भारतीय जनता दल की सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण नीति पर लिए गए निर्णय का कुछ धार्मिक समुदायो नें विरोध किया कि यह नीति उनके समुदाय विशेष के भावनाओं व मान्यताओं के विरुद्ध हैं। इस्लाम की अगुआई करने वालो नेताओं व इस्लाम धार्मिक गुरुओं नें भी जनसंख्या नियंत्रण को इस्लाम के विरुद्ध माना और इस्लाम की मान्यताओं के आधार पर सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति का विरोध किया।

तथापि इन सभी धार्मिक भ्रांतियों राजनीतक व धार्मिक प्रचारात्मक के मध्य आधारिक वास्तविकता यह है कि परिवार नियोजन की नवीन नीति राष्ट्रीय विकास को सुनिश्चित करेगी क्योंकि परिवार नियोजन केवल माता–पिता व बच्चों का ही विकास सुनिश्चित नही करता हैं, अपितु साथ ही यह समुदाय, समाज और राष्ट्र का भी विकास सुनिश्चित करता हैं। देश की जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित होगी तो संसाधनो पर नागरिकों की पहुँच भी सरल हो जाएगी और संसाधनो का सदुपयोग भी सरल हो जाएगा, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा तथा जीवन–यापन की गुणवनता में वृद्धि होगी।

♦♦♦♦♦

- संदर्भ–सूची

- Nayyar, Deepak (2006) India's unfinished journey transforming growth into development (Cambridge university press: United Kingdom) pp797-832.
- Bubesy manish (2018) family planning slogan hum do humare do (patrika 15th may).
- Family planning in India, Wikipedia, en.m.wikipedia.org.

2

भारत में जनसंख्या वृद्धिः समस्या एवं समाधान

राम किशोर

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की आवश्यकता भारत के लिए अधिक महत्वपुर्ण रही है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि किसी भी देश की विकास संभावनाओं को बाधित करती है, और निर्धनता एवं बेरोजगारी आदि को बढ़ाती है। इसलिए, भारत प्रथम देश है, जिसने आधिकारिक स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। यद्यपि, विभिन्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं के वितरण के लिए निर्मित की गई स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली आवश्यकता के अनुरूप प्रभावी नहीं रही हैं। आलेख के अंतर्गत भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं समाधान तथा समय–समय पर तत्कालीन सरकारों द्वारा निर्मित परिवार–नियोजन नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का भी वर्णन किया गया है।

1947 में जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तब भारत की जनसंख्या अनुमानित 34 करोड़ थी। वर्ष 1951 में पहली बार जनगणना हुई तो जनसंख्या 36 करोड़ से कुछ अधिक हो गई। वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 137 करोड़ है। भारत, विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हैं, विश्व की 16.87 प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, किंतु भारत के पास पृथ्वी पर उपलब्ध भूमि का केवल 2.4 प्रतिशत भाग है। ये दो आंकड़े प्राकृतिक और पूंजीगत संसाधनों की उपलब्धता में वर्तमान असंतुलन और इन संसाधनों के आधार पर जनसंख्या के परिमाण के बारे में बहुत कुछ बताते हैं।

जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर स्पष्ट रूप से निर्धनता और अस्वस्थता को बनाए रखने की ओर ले जाती है, जिसके परिणामस्वरूप लोगों के जीवन स्तर में काफी गिरावट आती है। (वर्मा 1991)

जनसंख्या वृद्धि निर्भरता के अनुपात को बढ़ाती है और समग्र रूप से परिवार और राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय को घटाती है, तथा जनशक्ति की बढो हुई आपूर्ति को अवशोषित करने के लिए निवेश योग्य अधिशेष की मांग में वृद्धि करती है। साथ ही, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति *(एक ऐसी स्थिति जिसका भारत वर्तमान में सामना कर रहा है)* जनसंख्या की बढ़ती खपत मांगों (वर्मा 2001) के कारण इस प्रकार के निवेश योग्य अधिशेष की आपूर्ति कम कर देता है। इसलिए, अर्थव्यवस्था की तीव्र वृद्धि एवं राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि की विशालता को नियंत्रित एवं प्रबंधित किया जाए।

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,210,193,422 है, जिसका अर्थ है कि भारत ने एक अरब के आंकड़े को पार कर लिया है। यह चीन के पश्चात् विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या

वाला देश है और विभिन्न अध्ययनों से यह पता चला है कि सन् 2025 तक भारत जनसंख्या के विषय में चीन को भी पीछे छोड़ देगा और विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। उपरोक्त तथ्यों के पश्चात् भारत की जनसंख्या नीतियों, परिवार नियोजन एवं कल्याण नियोजन कार्यक्रम सरकार ने शुरु किए हैं और प्रजनन दर में लगातार कमी आई है किंतु जनसंख्या का वास्तविक स्थिरीकरण केवल 2050 तक ही हो पाएगा।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत में तेज़ी से बढ़ रही जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की तथा इसको नियंत्रित करने की बात कही है। इससे कुछ समय पूर्व ही बजट सत्र में एक नामांकित संसद सदस्य द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2019 राज्यसभा में प्रस्तुत किया। निजी विधयक होने के कारण यह संसद में पारित तो नहीं हो सका, किंतु प्रधानमंत्री के संबोधन के पश्चात् इस विषय पर पुनः विचार–विमर्श किया जाने लगा है। इस विधेयक में दो बच्चों के जन्म का प्रावधान किया गया है। दो से अधिक बच्चों वाले जनप्रतिनिधि को अयोग्य निर्धारित किया जाएगा, साथ ही सरकारी कर्मचारियों को भी दो से अधिक बच्चे पैदा न करने का शपथ पत्र देना होगा। तथापि ऐसे कर्मचारी जिनके पहले से ही दो से अधिक बच्चे हैं उनको इस प्रावधान से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त नागरिकों को दो बच्चों की नीति को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न विनियमों की भी बात इस विधेयक में की गई है।

किसी भी देश में जब जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में पहुँच जाती है तो संसाधनों के साथ उसकी ग़ैर–अनुपातिक वृद्धि होने लगती है, इसलिए इसमें स्थिरता लाना आवश्यक होता है। संसाधन एक बहुत महत्त्वपूर्ण घटक है। भारत में विकास की गति की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। संसाधनों के साथ क्षेत्रीय असंतुलन भी शिघ्रता से बढ़ रहा है। दक्षिण भारत कुल प्रजनन क्षमता दर अर्थात् प्रजनन अवस्था में एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, यह दर लगभग 2.1 है जिसे स्थिरता दर माना जाता है। किंतु इसके विपरीत उत्तर भारत और पूर्वी भारत, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, उडिसा जैसे राज्य हैं, इनमें कुल प्रजनन क्षमता दर चार से अधिक है। यह भारत के भीतर एक क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न करता है। जब किसी भाग में विकास कम हो और जनसंख्या अधिक हो, तो ऐसे स्थान से लोग रोज़गार तथा अजीविका की खोज में अन्य स्थानों पर प्रवास करते हैं। किंतु संसाधनों की सीमितता तथा जनसंख्या की अधिकता तनाव उत्पन्न करती है, विभिन्न क्षेत्रों में उपजा क्षेत्रवाद कहीं न कहीं संसाधनों के लिये संघर्ष से जुड़ा हुआ है।

माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत

ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस ने *'प्रिंसपल ऑफ पॉपुलेशन'* में जनसंख्या वृद्धि और इसके प्रभावों की व्याख्या की है। माल्थस के अनुसार, 'जनसंख्या दोगुनी गति (1, 2, 4, 8, 16, 32) से बढ़ती है, जबकि संसाधनों में सामान्य गति (1, 2, 3, 4, 5) स ही वृद्धि होती है। परिणामतः प्रत्येक 25 वर्ष पश्चात् जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। तथापि माल्थस के विचारों से शब्दशः सहमत नहीं हुआ जा सकता, किंतु यह सत्य है कि जनसंख्या की वृद्धि दर संसाधनों की वृद्धि दर से अधिक होती है।

जनसांख्यिकीय लाभांश या जनसांख्यिकीय अभिशाप

किसी देश में युवा तथा कार्यशील जनसंख्या की अधिकता तथा होने वाले आर्थिक लाभ को जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में देखा जाता है। भारत में वर्तमान समय में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या युवाओं की है यदि इस जनसंख्या का उपयोग भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में किया जाए तो यह भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान करेगा। किंतु यदि शिक्षा गुणवत्ता–परक न हो, रोज़गार के अवसर सीमित हों, स्वास्थ्य एवं आर्थिक सुरक्षा के साधन उपलब्ध न हों तो बड़ी कार्यशील जनसंख्या एक अभिशाप का रूप धारण कर सकती है। अतः विभिन्न देश अपने संसाधनों के अनुपात में ही जनसंख्या वृद्धि पर बल देते हैं। भारत में वर्तमान स्थिति में युवा एवं कार्यशील जनसंख्या अत्यधिक है किंतु उसके लिये रोज़गार के सीमित अवसर ही उपलब्ध हैं। ऐसे में यदि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित न किया गया तो स्थिति भयावह हो सकती है।

बढ़ती जनसंख्या की प्रमुख चुनौतियाँ

- स्थिर जनसंख्याः स्थिर जनसंख्या वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम प्रजनन दर में कमी की जाए। यह बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बहुत अधिक है, जा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- जीवन की गुणवत्ताः नागरिकों को न्यूनतम जीवन गुणवत्ता प्रदान करने के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली के विकास पर निवेश करना होगा, अनाजों एवं खाद्यान्नों का अधिक–से–अधिक उत्पादन करना होगा, लोगों को रहने के लिये घर देना होगा, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति बढ़ानी होगी एवं सड़क, परिवहन और विद्युत उत्पादन तथा वितरण जैसे आधारिक संरचना को सुदृढ़ बनाने पर कार्य करना होगा।
- जनसांख्यिकीय विभाजनः बढ़ती जनसंख्या का लाभ उठाने के लिये भारत को मानव पूंजी का सुदृढ़ आधार बनाना होगा जिससे व लोग देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकें, किंतु भारत की न्यूनतम साक्षरता दर (लगभग 74 प्रतिशत) इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है।
- सतत् शहरी विकासः वर्ष 2050 तक देश की शहरी जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी, जिसके चलते शहरी सुविधाओं में सुधार और सभी को आवास उपलब्ध कराने की चुनौती होगी, साथ ही पर्यावरण का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा।
- असमान आय वितरणः आय का असमान वितरण व लोगों के मध्य बढ़ती असमानता अत्यधिक जनसंख्या के नकारात्मक परिणामों के रूप में सामने आएगी।

जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपाय

आयु की एक निश्चित अवधि में मनुष्य की प्रजनन दर अधिक होती है। यदि विवाह की आयु में वृद्धि की जाए तो बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित किया जा सकता है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा उन्हें निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलत करना। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा लोगों के अधिक बच्चों को जन्म देने के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना। भारत में अनाथ बच्चों की संख्या अधिक है तथा ऐसे

परिवार भी हैं जो बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे परिवारों को बच्चे गोद लेने के लिये प्रोत्साहित करना, साथ ही अन्य परिवारों को भी बच्चों को गोद लेने के लिये प्रेरित करना। इस प्रकार से न मात्र अनाथ बच्चों की स्थिति में सुधार होगा अपितु जनसंख्या को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।

भारत में विभिन्न कारकों के चलते पुत्र प्राप्ति को आवश्यक माना जाता है तथा पुत्री के जन्म को हतोत्साहित किया जाता है। यदि लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जाता है तो पुत्र की चाहत में अधिक–से–अधिक बच्चों को जन्म देने की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। भारतीय समाज में किसी भी दंपत्ति के लिये संतान प्राप्ति आवश्यक समझा जाता है तथा इसके बिना दंपत्ति को हेय दृष्टि से देखा जाता है, यदि इस प्रकार की सोच में परिवर्तन किया जाता है तो यह जनसंख्या में कमी करने में सहायक होगा।

परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर तथा उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाकर जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि उच्च जीवन स्तर वाले लोग छोटे परिवार को प्राथमिकता देते हैं। भारत में शहरीकरण जनसंख्या वृद्धि के साथ व्यूत्क्रमानुपातिक रूप से संबंधित माना जाता है। यदि शहरीकरण को बढ़ावा दिया जाता है तो निश्चित रूप से यह जनसंख्या नियंत्रण में उपयोगी सिद्वध होगा।

भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, इसका प्रमुख कारण परिवार नियोजन के बारे में लोगों में जागरूकता का अभाव है। यदि नियोजन द्वारा बच्चों को जन्म दिया जाए तो यह जनसंख्या नियंत्रण का सबसे कारगर साधन हो सकता है। भारत में अभी भी एक बड़ी जनसंख्या शिक्षा से दूर है इसलिये परिवार नियोजन के लाभों से अवगत नहीं है। विभिन्न संचार माध्यमों जैसे– टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र आदि के माध्यम से लोगों में विशेषकर ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिये। सरकार को ऐसे लोगों को विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहन देने का प्रयास करना चाहिये जो परिवार नियोजन पर ध्यान देते हैं तथा छोटे परिवार को प्राथमिकता देते हैं।

स्वतंत्र भारत में विश्व का सबसे पहला जनसंख्या नियंत्रण हेतु राजकीय अभियान वर्ष 1951 में आरंभ किया गया। किंतु इससे सफलता नहीं मिल सकी। वर्ष 1975 के आपातकाल के समय बड़े स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास किये गए। इन प्रयासों में कई अमानवीय विधियों का उपयोग किया गया। इससे न सिर्फ यह कार्यक्रम असफल हुआ अपितु लोगों में नियोजन और उसकी पद्धति को लेकर भय का वातावरण उत्पन्न हो गया जिससे कई वर्षों तक जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी तथा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्तमान में यह 130 करोड़ को भी पार कर चुकी है, साथ ही वर्ष 2030 तक भारत की जनसंख्या चीन से भी अधिक होने का अनुमान है। ऐसे में भारत के समक्ष शिघ्रता से बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी चुनौती है क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों की वृद्धि सीमित है। इस स्थिति में जनसांख्यिकीय लाभांश जनसांख्यिकीय अभिशाप में परिवर्तित होता जा रहा है। इसी स्थिति को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस समस्या को दोहराया है। यद्यपि जनसंख्या

वृद्धि ने कई चुनौतियों को जन्म दिया है किंतु इसके नियंत्रण के लिये क़ानूनी उपाय एक उपयुक्त विधि नहीं माना जा सकती। भारत की स्थिति चीन से पृथक है तथा चीन के विपरीत भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में निर्णय लेने का अधिकार है। भारत में कानून का सहारा लेने के अतिरिक्त जागरूकता अभियान, शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर तथा निर्धनता को समाप्त करने जैसे उपाय करके जनसंख्या नियंत्रण एवं प्रबधन के लिये प्रयास करने चाहिये। परिवार नियोजन से जुड़े परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये तथा ऐसे परिवार जिन्होंने परिवार नियोजन को नहीं अपनाया है उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से परिवार नियोजन हेतु प्रेरित करना चाहिये।

♦♦♦♦♦

- संदर्भ–सूची

- Verma, M.M. (2010). Population Control Programme in India: Required Interventions for Improving the Effectiveness of the Primary Health Care Delivery System, Journal of Health Management, Sage Publications, Los Angeles, London
- https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1695755
- https://hi.wikipedia.org/wiki/1951_%E0%A4%95%E0%A5%80_%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%A3%E0%A4%A8%E0%A4%BE
- https://www.scotbuzz.org/2017/06/bharat-mein-janasankhya-vrddhi-ke-karan.html
- https://www.studyfry.com/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A5%83%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%BF

3

जनसंख्या नियंत्रणः आवश्यकता अथवा राजनीति

नरेंद्र कुमार

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

जिस प्रकार भारत की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है इसे अधिक समय तक अनदेखा नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान समय तक जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतन्त्रता पश्चात् जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विभिन्न प्रयास आवश्यक रूप से हुए है, जैसे कि नसबंदी कार्यक्रम, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम इत्यादि, किन्तु इन सभी प्रयासों का कोई विशेष परिणाम निकल कर हमारे सम्मुख नहीं आया।

भारत की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 35 लाख तक पहुँच गयी है। जो आने वाले समय में जनसंख्या विस्फोटक का कारण बन सकती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए देश में अधिक समय से मांग चल रही है। जिस पर केंद्र व राज्य सरकार ने कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के साथ–साथ कुछ अन्य राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार से इस संदर्भ में जनता से सुझाव भी मांगे है किस प्रकार राज्य में 'दो बच्चों की नीति' लागू की जाए। जिससे कि शीघ्रता से बढ़ रही जनसंख्या को नियंत्रण में लाया जाए तथा आने वाले समय में देश के अंदर संसाधनों की पूर्ति बनी रहे। भारत में जनसंख्या नियंत्रण की मांग लंबे समय से की जा रही है किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस विषय पर सक्रियता दिखाएं जाने के कारण यह विषय पुनः विभिन्न राजनीतिक दलों एवं बुद्धिजीवियों के मध्य विचार–विमर्श का विषय बन कर उभरा है।

यह आलेख विभिन्न भागो में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम् इसमें भारत में जनसंख्या नियंत्रण संबंधित प्रयासो को समझने व उनका विश्लेषण करने का प्रयास किया है। इसके पश्चात् इसके अंतर्गत भारत जैसे देश के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण की अनिवार्यता को समझने का प्रयास किया गया है कि क्यों भारत में जनसंख्या नियंत्रण की अनिवार्यता महत्वपूर्ण बनी हुई है। अंत में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हो रही राजनीति को जानने का प्रयास किया गया है। इस संदर्भ में विचार–विमर्श कर एक विशेष नीति की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपने सीमित प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग व संरक्षण कर नागरिकों को उत्तम व सर्वोत्तम जीवन का अधिकार दे सके।

भारत में जनसंख्या नियंत्रण संबन्धित प्रयास

विश्व की जनसंख्या समकालीन समय मेंलगभग 7.6 अरब है, चीन (1.43 अरब) के पश्चात् भारत जनसंख्या के विषय में 1.35 अरब जनसंख्या के साथ विश्व में द्वितीय स्थान पर है। विश्व की कुल

जनसंख्या में से 17.85 प्रतिशत लोग भारत में रहते हैं। विश्व में प्रत्येक 6 नागरिकों में से एक भारतीय है। भारत में जनसंख्या को सघनता के रूप में देखें तो सन् 1991 में देश के अंतर्गत जनसंख्या सघनता लगभग 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी, जो सन् 1991 में बढ़कर 267 और सन् 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पहुच गई। भारतीय जनता दल के राज्यसभा सांसद व राकेश सिन्हा ने जुलाई 2019 में जनसंख्या विनियमन विधेयक को एक निजी विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया था। सिन्हा जी का कहना है कि बढ़ती जनसंख्या भारत के पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन को आने वाली पीढ़ी के अधिकारों तथा प्रगति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। इस संदर्भ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन् 2019 में लाल किले पर दिए अपने भाषण में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति बनाने का संकेत भी दिया था।

भारत में जनसंख्या नियंत्रण विशेष रूप से छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न राज्यों में पहले से ही दंडात्मक प्रावधान लागू हैं। राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में दो बच्चों की नीति लागू है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार जिन उम्मीदवारों के दो से अधिक बच्चे है उन्हें सरकारी नौकरी की नियुक्ति के विषय में योग्य नहीं माना जाता है। मध्यप्रदेश सरकार सन् 2001 से ही दो बच्चों की नीति का पालन कर रही है, गुजरात सरकार सन् 2005 से ही पंचायत, नगर पालिकाओं व नगर निगम के चुनाव मं दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान लागू कर चुकी है। असम सरकार ने भी असम जनसंख्या तथा महिला सशक्तिकरण नीति को लागू करने का निर्णय किया है जो तत्कालीन सरकार के द्वारा दो वर्ष पूर्व बनाई गई थी। जनवरी 2021 से असम में दा से अधिक बच्चे वाला कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा। लगभग 12 राज्यों में ऐसे ही प्रावधान लागू हैं जो दो बच्चों की नीति की शर्तों को पूर्ण न कर पाने की स्थिति में विभिन्न प्रतिबंध लगाते है। जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़न से लोगों पर रोक लगाना भी सम्मिलित है।

वर्तमान समय में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार भी उत्तर प्रदेश में दो बच्चों की नीति को लागू करने की बात कर रही है, जिसके अंतर्गत 'दो बच्चों की नीति' का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकाय के चुनाव में भाग लेने की स्वीकृति नहीं होगी। दो बच्चों की नीति का पालन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी के दौरान दो वेतन वृद्धि मिलेगी। माता अथवा पिता बनने पर पूर्ण वेतन तथा भत्तों के साथ 12 माह का अवकाश भी मिल सकेगा। तथा इन सबके अतिरिक्त 'नेशनल पेंशन स्कीम' के अंतर्गत अंशदान में तीन प्रतिशत वृद्धि का लाभ प्राप्त होगा। प्रारूप में इस तथ्य का भी वर्णन किया गया है कि दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएगे। उनके परिवार को मात्र चार सदस्यों के भाग का राशन ही प्राप्त हो सकेगा। दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग स्थानीय तथा पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उन्हें सरकारी नौकरियों का लाभ प्राप्त नहीं होगा। आलेख के अगले भाग में यह जानने का प्रयास किया है कि जनसंख्या नियंत्रण नीति क्यों अनिवार्य है।

जनसंख्या नियंत्रण की अनिवार्यता

जनसंख्या वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी, पर्यावरण की समस्या और निम्न जीवन स्तर जैसी समस्याएं बनी हुई है। जनसंख्या वृद्धि के कारण निर्धनता रेखा से निम्न जीवन यापन करने वाले लोगों की अधिक संख्या है।निर्धनता, अभाव, अपराध, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी व तस्करी जैसी समस्याओं को जनसंख्या वृद्धि के साथ जोड़कर देखा जा सकता है।

पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी जनसंख्या वृद्धि हानिकारक है, क्योंकि बढ़ती आवश्यकताओं के कारण प्राकृतिक संसाधनों का शीघ्रता से अतिक्रमण हो रहा है। जिसका परिणामस्वरूप हमारे सम्मुख जल तथा वायु प्रदूषण इत्यादि के रूप में सामने आ रहा है। जनसंख्या प्रबंधन व नियंत्रण वर्तमान समय की अनिवार्यता बन गई है, इसके विभिन्न कारण है–

स्थिर जनसंख्या की अनिवार्यताः जनसंख्या नियंत्रण के लिए अनिवार्य है कि जन्म दर वृद्धि में कमी लाए जाए, कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों में जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक समस्या बनी हुई है।

लोगों के जीवन स्तर में सुधार की अनिवार्यताः लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सड़क, स्वच्छ जल तथा आधारिक संरचनाओं में अधिक सुधार करने की आवश्यकता है। बढ़ती जनसंख्या तथा सीमित संसाधनों के कारण लोगों की आधारिक आवश्यकताएं पूर्ण करना कठिन होता जा रहा है। नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने व बढ़ती जनसंख्या को सामाजिक आधारिक संरचना प्रदान करके समायोजित करने के लिए भारत को अधिक व्यय करने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत को सभी संभावित माध्यमों से अपने संसाधन विस्तृत करने होंगे।

जनसांख्यिकीय लाभ की अनिवार्यताः बढ़ती जनसंख्या का लाभ उठाने के लिए मानव पूंजी को सुदृढ़ करना होगा जिससे कि अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी की भूमिका बढ़ सके, किन्तु साक्षारता दर में कमी व कुशल मजदूरों का अभाव इसमें बड़ी समस्या बनी हुई है, अधिक जनसंख्या के कारण लोगों कुशल बनाने में कठिनाई आ रही है।

दूसरी और जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों में मतभेद देखने में मिल रहा है। भारतीय जनता दल और उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय हित में सभी लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करना चाहिए, चाहे कोई राजनीति के लिए इसका कोई विरोध भले ही करे। दूसरी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पर प्रश्न उठा रहे है, जनकल्याण से अधिक यह बिल राजनीतिक लाभ के लिए लाया जा रहा है जिससे कि चुनाव के समय वास्तविक विषयों पर से ध्यान हटाया जा सके। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या देश क लिए समस्या आवश्यक है किन्तु भारतीय जनता दल की सरकार ने इस संदर्भ में अभी तक कुछ नहीं किया है। चुनाव का समय समीप आने के कारण यह सभी कार्य किस जाते है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मनाना है कि मात्र कानून बना देने से जनसंख्या वृद्धि नहीं रोका जा सकती ह। इसके लिए महिलाओं का शैक्षिक स्तर तथा जागरुकता बढ़ाने की भी आवश्यकयता है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने जनसंख्या नीति का समर्थन किया है। उनके अनुसार देश की अर्थव्यवस्था, उत्तम–जीवन स्तर तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक ह। जनसंख्या नियंत्रण की नीति को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों मतभेद बने हुए है, अपितु देश के अधिकतर दल इस विचार से सहमत है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण देश विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है। आने वाले समय में यह समस्या और नए रूप में उभरकर सामने आएगी। अतरू इसके लिए हमें एक आवश्यक नीति बनाने की आवश्यकता है जिससे कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छा जीवन के साथ प्राकृतिक संसाधनों को भी संरक्षण प्रदान कर सके।

♦♦♦♦♦

- संदर्भ–सूची

- https://www.amarujala.com/columns/blog/population-growth-in-the-world-is-the-root-of-many-problems/25/08/2021
- https://www.patrika.com/new-delhi-news/population-control-bill-what-is-population-control-bill-6993453/25/08/2021
- https://www.downtoearth.org.in/hindistory/development/sustainable-development/population-control-law-is-it-really-necessary-69619/25/08/2021
- https://www.bbc.com/hindi/india-57789378/25/08/2021

4

भारत एवं चीन की जनसंख्या नियन्त्रण नीतिः एक सामान्यीकरण

चित्रा राजौरा

शोधार्थी, रूस एवं मध्य–एशिया अध्ययन केंन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

चीन के संदर्भ में देखा जाए तो 21वीं शताब्दी में जनसंख्या व आर्थिक विकास दोनों एक दूसरे के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन चुके है। चीन ने जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपयोगी कदम भी उठाए, जिसका परिणाम सकारात्मक रहा है। यह नीतियां है। एक–शिशु नीति, दो–शिशु कानून तथा तीन–शिशु कानून अदि। भारतीय संदर्भ में, भारत अपनी अधिक उदार जनसंख्या नीति के कारण अपनी युवा जनसंख्या के विषय में चीन से अधिक उत्तम स्थिति पर है। पुनः भारत ने विश्व में सर्वप्रथम जनसंख्या नियन्त्रण के लिए परिवार नियोजन कार्य को राष्ट्रीय कार्य का स्वरुप प्रदान किया था किन्तु यह अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाया। वर्तमान समय में, औद्योगिकीकरण से जनसंख्या विस्तार से अनेक समस्याओं का भी विस्तार हो रहा है जैसे प्रदूषण, निर्धनता, बेरोजगार, अशिक्षा, रोग और लोग अभाव से ग्रसित जीवन जोने के लिए बाध्य है।

इस आलेख में यह उल्लेख किया गया है भारत को चीन की 'जनसंख्या नियन्त्रण नीति या कानून' से क्या ग्रहण करनी चाहिए? तथा अंत में वर्तमान में भारत द्वारा अपनाई गई नीति का मुख्य उद्देश्य व प्रभाव क्या है? इस कारण भारत को भविष्य में जनसंख्या नियन्त्रण कानून को वास्तविक स्वरूप लाने के लिए चीन के समान कठोर नियम अपनाने की आवश्यकता है, तथापि इसका उद्धरण 1975 में भारत में संजय गाँधी सरकार द्वारा इस क्षेत्र में अहम कदम भी उठाये थे। वास्तव में, यह संजय गांधी थे जिन्होंने सामूहिक नसबंदी अभियान का राजनीतिकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भ्रष्टाचार, बलपुर्वक और त्रुटिपूर्ण आंकड़े उनके दृष्टिकोण के अंग थे। उस समय, यूएसएआईडी, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र सभी भारतीय अधिकारियों पर नसबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए दबाव डाल रहे थे। उसके पश्चात्, भारत की क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में से प्रत्येक ने जनसंख्या नियंत्रण पर अधिक बल दिया, किन्तु प्रमुख सामरिक विशेषताएं समान रहीं। 1985 में शुरू की गई पंचवर्षीय योजना उसी दृ ष्टिकोण को निरंतर बनाए रखती है परंतु अतिरिक्त सुविधाओं के साथ "ग्रीन कार्ड" उन लोगों को दिए जाते हैं जो 2 बच्चों के बाद नसबंदी को स्वीकार करते हैं। जिससे उन्हें कम ब्याज वाले आवास ऋण, आवास भूखंड और उद्यम ऋण प्राप्त करने में वरीयता और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि जैसे व्यापक लाभ मिलते हैं।

परिवार नियोजन के लिए 1986 की संशोधित रणनीति अनिवार्य रूप से परिवार नियोजन के साथ ही स्वास्थ्य वितरण प्रणाली के साथ अधिक एकीकृत है। विदेशी और अंतरराष्ट्रीय–दाता एजेंसियों ने सामान्यतः भारत सरकार पर अपनी वैचारिक प्रवृत्तियों के अनुसार विरोधाभासी प्रभाव डाला है। भारत में

यह मनोभाव बढ़ता जा रहा है कि ग्रामीण विकास और परिवार नियोजन कार्यक्रमों की उपलब्धियां उनके लिए प्रतिबद्ध संसाधनों की मात्रा का सापेक्ष रूप नाममात्र हैं।

भारत में वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि दर 0.97 है। चीन की 0.34 दर है। तथापि यह स्पष्ट है कि दोनों देशो में कुछ प्रमुख समानताएं है–दोनों इस समय अधिक भिन्न जनसांख्यिकीय पथ पर हैं। चीन की जनसंख्या स्थिर हो गयी है। और अंतत 21वी शताब्दी के शेष भाग में दर घट सकती है। जिससे कारण आर्थिक रूप से बढने के लिए प्रोत्साहन मिल पाएगा, किन्तु बढती आयु की जनसंख्या का वजन अतिरिक्त समाजिक और आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करेगा. 2050 तक, यह अनुमान लगाया गया है। कि देश के एक तिहाई से अधिक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होगी। दूसरी ओर, भारत एक अधिक पारंपरिक जनसांख्यिकीय पथ का अनुसरण कर रहा है। जब तक कि यह कठोर नीतिगत निर्णयों से अबाधित नहीं रहा है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और जापान में पुर्व से ही अधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अनुभव किए जाने वाले विशिष्ट जनसांख्यिकीय संक्रमण का अनुभव शुरू होने से पुर्व देश में 1. 6–1.7 बिलियन लोगों में सबसे ऊपर होगा और जब तक भारतीय कार्यबल आय वर्ग 800+ मिलियन लोगों तक पहुंचता है। यह देखना रोचक होगा कि स्वचालन के लिए विश्व की अपरिहार्य तकनीकी परिवर्तन और श्रम के लिए परिवर्तित भूमिका के साथ चीजें कैसे परस्पर क्रिया करती हैं।

जनसंख्या नियंत्रण नीतियांः चीन तथा भारत

जैसे की यह पूर्व–ज्ञात है कि चीन 1.4 अरब लोगो के साथ विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन सरकार द्वारा 1979 में एक बच्चे की नीति प्रस्तुत की गयी थी। जिसका लक्ष्य जनसंख्या नियन्त्रण 400 मिलियन शिशु–जन्म को रोकाना था। इसका नकारात्मक प्रभाव यह दिखा की कमजोर कार्यबल तथा बढती जनसंख्या के संकट के कारण इस नीति को त्यागना पड़ा। इसका अन्य मुख्य कारण यह हुआ की एक बच्चे की नीति से जनसंख्या–असंतुलित हो गयी थी। इस अलोकप्रिय एक बच्चे नीति को बलपूर्वक लागू करने के लिए सरकार द्वारा गर्भनिरोधक सहित कठोर उपाय तैयार किये। ये विफल होने पर बलपूर्वक रूप से गभपात किया गया। इसी प्रकार, भारत यदि जनसंख्या वृद्धि दर को स्थिर रखना चाहता है एक बच्चा नीति सफल सिद्ध हो सकती है। किन्तु इस नीति को साकार करने के लिए भिन्न तकनीकी का उपयोग करना होगा, न की चीन के पथ पर चल कर जिसका परिणाम भारत में एक विशाल संकट का रूप न ले। जनसंख्या नियंत्रण पर सयुंक्त राष्ट्र के आर्थिक और समाजिक विषयों के विभाग ने भारत की जनसंख्या सन् 2022 तक चीन की जनसंख्या से भी अधिक होने भविष्यवाणी की है। भारत को जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक या दो–बच्चे की नीति लागू करना चाहिए। यह नीति न केवल शीर्षों की संख्या को नियंत्रित करने में सहायता करेगी, अपितु यह सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कोई लाभ भी प्रदान करेगी।

भारत के समक्ष यह कोई नया विचार नहीं है 2018 में ही 125 से अधिक सांसदों ने राष्ट्रपति को दो–बच्चों के मानदंड को लागू करने की मांग की गयी थी। परंतु उच्चतम न्यायलय ने इस याचिकाओ को अस्वीकृत किया। भारत सरकार अपनी जनसंख्या नियन्त्रण के प्रति सहज रूप से प्रमुख कदम उठाती रही है। चीन जैसे देश का उदहारण लेकर अपनी नीति को उचित प्रकार से लागू कर सकता है। किन्तु

हाल में न केवल उत्तर प्रदेश व असम की राज्य–सरकार ने यह कानून लागू किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 में मुख्यमंत्री योगी द्वारा जनसंख्या नियंत्रण नीति को लागू करते दौरान कहा की इस नीति से "बढ़ती जनसंख्या असमानता समेत अधिक समस्याओं की जड़ है। "बढ़ती जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता सहित प्रमुख समस्याओं की जड़ है। एक उन्नत समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है। आइए हम इस 'विश्व जनसंख्या दिवस' पर स्वयं को और समाज को बनाने का संकल्प लें। बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से अवगत हैं।" इस विधेयक के अंतर्गत यह प्रावधान दिए गये है जैसे–गर्भनिरोधक उपायों की पहुँच में वृद्धि, सुरक्षित गर्भपात के लिए उचित प्रणाली प्रदान करना, शिशु और मृत्यु दर को कम करनाय और 11 से 19 वर्ष की आयु के किशोरों की शिक्षा। स्वास्थ्य और पोषण का उत्तम प्रबंधन करना। बिल में विभिन्न प्रोत्साहन जैसे आउट–ऑफ–टर्न प्रमोशन, दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूर्ण वेतन और भत्तों के साथ 12 माह का पितृत्व अवकाश और राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत नियोक्ता के योगदान में 3 प्रतिशत की वृद्धि का भी प्रावधान है।

किन्तु अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है, राजनीतिक विश्लेषको के अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा उठाया गया यह कदम आने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर अपने विकास एजेंडा को इगित करता है। अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने जनसांख्यिकीय लाभांश में प्रवेश किया है अर्थव्यवस्था को निर्धनता से बाहर निकालने के लिए एक युवा और सक्रिय कार्यबल की क्षमता उपस्थित है। भारत द्वारा इसका उपयोग कैसे व किस प्रकार किया जा सकता है। विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसे जनसंख्या वाले राज्यों में यह देखा जाना शेष है। अंततः चीन ने अपनी एक–बाल नीति को यह भाव ग्रहण करते हुए समाप्त कर दिया कि अधिक से चीनी सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। और देश की जनसंख्या में बहुत कम युवा लोग श्रम बल में प्रवेश कर रहे हैं। जिससे कि वृद्ध आबादी की सेवानिवृत्ति, स्वास्थ्य देखभाल और निरंतर आर्थिक विकास प्रदान किया जा सके। चीन ने बाद में अपनी एक बच्चा नीति में पुनः संशोधित कर दो बच्चा की नीति को 2015 लागू किया गया। उसके पश्चात्, नई तीन–बाल नीति को अपनाया जा रहा है। यह घोषणा 31 मई, 2021 को राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पोलित ब्यूरो की बैठक के पश्चात् हुई। इसका उद्देश्य चीनी दंपतियों को अब अधिकतम तीन बच्चे पैदा करने की अनुमति होगी क्योंकि नीति निर्माता देश के दीर्घकालिक जनसांख्यिकीय असंतुलन को दूर करना चाहते हैं। किन्तु भारत की अब स्थिति चीन की 1979 के समाना बन चुकी है। इसलिए, चीन भारत के लिए एक अच्छा उद्धरण बन सकता है।

भारत व चीन के संदर्भ में यह देखा गया है कि इस नीति के कारण लोगो में बालिकाओ के स्थान पर बालक की मांग बढती जा रही थी जिससे बालिकाओं अधिक दर से मृत्यु की जा रही थी. जिससे लोगो अपनी पीढ़ी को सुरक्षित बनाने और नीति का अनुसरण करने के लिए इस प्रकार के कदम उठाने के लिए मजबूर हो चुके थे। परिणामस्वरुप, भारत और चीन जनसंख्या नियन्त्रण नीति की घोषणा तो कर देते है किंतु उसका लोगो के समाजिक जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है, इसका अभी कोई अनदेशा नहीं लगा पाया है।

परिणामस्वरुप, भारत में बेरोजगारी में वृद्धि का अनुभव रहा है। चीन की एक बच्चा नीति के सन्दर्भ में, जन्म नियन्त्रण की योजना बेरोजगारी को कम कर सकती है। जन्म दर में गिरावट एक जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान करती है क्योंकि जनसंख्या का आर्थिक रूप से उत्पादक अनुपात सामान्य जनसंख्या की तुलना में अधिक शोघ्रता से बढ़ता है। इस प्रकार, अधिक लोगों को रोजगार के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं होंगे। जनसंख्या में कमी के साथ, नागरिकों के मध्य प्रतिस्पर्धा कम हो गई और बेरोजगारी कम हो जाएगी। बेरोजगारों की उपस्थित संख्या के साथ भारत को ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है। दूसरी ओर भारत में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगो की जनसंख्या प्रतिशत विश्व औसत से कही अधिक है। भारत निर्धनता प्रतिशत (संयुक्त राष्ट्र) में प्रथम स्थान पर है। यह एक बड़ी संख्या है और भारत की विशाल जनसंख्या के लिए संसाधनों की कमी के कारण सबसे अधिक संभावना है। एक बच्चा नीति के लागू होने के पश्चात्, इसने परिवार नियोजन को बढ़ावा देकर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण में रखकर और उन क्षेत्रों में जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाकर निर्धनता को कम किया है।

इसके विपरीत, भारत में भी चीन जैसी परिस्थितियों जैसे लिंग असंतुलन की चिंता तथा 2016 में चीन में प्रत्येक महिला के लिए पुरुष की कमी थी जो विश्व में सबसे विषम लिंग अनुपात में से एक रही है। अतः भारत को चीन की विफलता को एक सबक के रूप में लिया जा सकता है। जहां विकास को जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने की कुंजी के रूप में देखा जा रहा है। इस सन्दर्भ में, राजनेता पासवान ने कहा, "चीन में एक बच्चे की नीति थी उस समय नीति बहुत सफल थी। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को कम कर दिया। उन्होंने अब नीति को रोक दिया है। हम यह नहीं कह सकते कि भारत को दो बच्चों की नीति लागू करनी चाहिए या नहीं। कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं आएगा और कहेगा कि भारत को इसे अपनाना चाहिए।" सरकार द्वारा बनाई की जनसंख्या नियन्त्रण नीति कानून एक प्रकार से विवाद का भी विषय रहा है। यह न केवल आर्थिक स्तर पर सहायक सिद्ध होगा अपितु इस नीति से पर्यावरण सुरक्षा को भी लाभ होगा।

भारत और चीन की नीति जनसंख्या नियन्त्रण के लिए सामान है किन्तु उसको व्यवहारिक रूप देने के लिए दोनों देशो में राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर व्यवहारिक असमानताए भी है। क्योकि भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में किसी भी नीति को शक्ति व बल आधार पर उचित नही ठहराया जा सकता है। इसके विपरीत चीन तानाशाही देश है, बल व शक्ति के प्रयोग से वह नीतियों को लागू करवाया जाता रहा है चाहे इसके परिणाम नकारात्मक रहे हो। अतः भारत व चीन की जनसंख्या नीति को भारत में व्यवहारिक रूप से लागू करना असंभव है। इस प्रकार भारत में यह नीति को साकार करने के लिए आधारिक स्तर पर जागरूकता अभियान को अपनाना अधिक आवश्यक है।क्योकि भारत में लोगो की मानसिकता को परिवर्तित करने की अधिक आवश्यकता है। तभी भविष्य में यह नीति अपना साकार रूप ले पायगी।

♦♦♦♦♦

- संदर्भ–सूची

- Cockram C. (1968), "The population explosion and international Relation", The South African Institute of International affairs, Accessed 7/08/21 URL: https://media.africaportal.org/documents/The_Population_Explosion_And_International_Relations.pdf
- UNFPA (2020) State world population 2020, UNFPA Report, URL: UNFPA_PUB_2020_EN_State_of_World_Population.pdf
- Owens, Edgar and Shaw, Robert (1972) 'Development Reconsidered', Cambridge University Press: Pp.1-190.
- Malthus, T. R. (1798) 'An Essay on the Principle of Population, J. Johnson, in St. Paul's Church-Yard, London
- Cox, Peter (1976) Demography, Cambridge University Press, England.

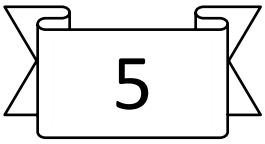

भारतीय जनसंख्या परिदृश्यः जनसंख्या नियंत्रण हेतु समझ

डॉ० अमित अग्रवाल

सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य), राजकीय महाविद्यालय, रामपुर

भारत में सर्वप्रथम् जनसंख्या नियंत्रण हेतु परिवार नियोजन अभियान वर्ष 1951 में आरंभ किया गया, किंतु आशातीत सफलता नहीं मिल सकी। वर्ष 1975 के आपातकाल के दौरान बड़े स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास हेतु कई अमानवीय उपायों का प्रयोग किया गया, नागरिकों में परिवार नियोजन की पद्धति को लेकर भय का वातावरण उत्पन्न हो गया जिससे कई वर्षों तक जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास निर्थक हो गए। भारत, साम्यवादी चीन के विपरीत भारत एक लोकतांत्रिक राज्यों का संघ है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में निणय लेने का अधिकार है।

संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विषयों के विभाग के अनुमान के अनुसार, भारत की जनसंख्या 2030 तक 1.5 बिलियन और 2050 में 1.64 बिलियन तक पहुँच जाएगी। वर्तमान में विश्व की 16.7 प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है जबकि वैश्विक सतह क्षेत्र के मात्र 2.45 प्रतिशत और जल संसाधनों के 4 प्रतिशत भारत के भाग में है। स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त 2019 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, "समाज का वह लघु वर्ग, जो अपने परिवारों को छोटा रखता है, सम्मान का अधिकारी है... वह देशभक्ति का कार्य है।" जब राजनीतिक दल या नीति–निर्माता विफल होते हैं तब जनसंख्या की अधिकता विवाद उनके लिए ढाल का काम करती है।

किसी भी राष्ट्र में जनसंख्या नियंत्रण हेतु अंत्यत आवश्यक है–जागरूक नागरिक। जागरूक नागरिक जो जनसंख्या नियंत्रण हेतु समझ रखते हैं। रूढ़िवादी समाज में जनसंख्या नियंत्रण करना एक कठिन लक्ष्य होता है। जब बच्चे के जन्म को अदृश्य शक्ति का उपहार माना जाता है उस दशा में इस पर नियंत्रण लगाना अधिक कठिन हो जाता है। जब नागरिकों में उच्च रहन–सहन का स्तर प्राप्त करने की ललक उत्पन्न हो जाती है तब जनसंख्या की दर स्वतः ही गिर जाती है। उच्च साक्षरता दर और रोजगार की दशा में शहरीकरण तीव्र गति से होता है। धार्मिक रीति रिवाज और संस्कार जनसंख्या नियंत्रण को बाधित करते हैं। पुत्र मोह, लैंगिक विभेद, दहेज, निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और कौशल का अभाव आदि समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, इसका प्रमुख कारण परिवार नियोजन के बारे में लोगों में जागरूकता का अभाव है। भारत में जनसंख्या शिक्षा व परिवार नियोजन के लाभों से अवगत व जागरूकता लाने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों जैसे–सोशल मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र आदि के माध्यम से लोगों में विशेषकर ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में, का भी प्रयोग करना चाहिये। यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क,

आयरलैंड में बायोकेमेस्ट्री के प्रोफेसर विलियम रेविले के अनुसार, "ग्रामीण क्षेत्र में बच्चा खेत पर काम करके परिवार की साहायता कर सकता है। किंतु शहरी क्षेत्र में एक बच्चा परिवार पर आर्थिक दायित्व बन जाता है। शहरों में मीडिया, स्कूलों और गर्भनिरोधकों तक महिलाओं की पहुँच बढ़ जाती है।"

देश ने महिलाओं की मानसिकता में एक परिर्वतन देखा। पूनम मुत्तरेजा, कार्यकारी निदेशक, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (गैर–सरकारी संस्था), दिल्ली के अनुसार "प्रति महिला, बच्चों की संख्या में उनके स्कूली शिक्षा के स्तर के साथ गिरावट आती है। देशव्यापी स्तर पर, स्कूली शिक्षा प्राप्त न करने वाली महिलाओं के औसतन 3.1 बच्चे होते हैं, जिनकी तुलना में बारहवीं या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं के मध्य यह आंकड़ा 1.7 बच्चों का है। 2005–06 से 2015–16 तक आते–आते कुल प्रजनन दर 2.7 से घटकर 2.2 हो गई जो प्रतिस्थापन दर के समीप है। किंतु 15–49 आयु वर्ग में लगभग 30 मिलियन विवाहित महिलाएं और 15–24 आयु वर्ग में 10 मिलियन महिलाएं गर्भावस्था में देरी की या उससे बचने की इच्छा रखती हैं, किंतु उनकी गर्भ निरोधकों तक पहुंच नहीं है।"

गुटमाकर इंस्टीट्यूट नामक एक शोध और नीति संगठन का अध्ययन कहता है कि 2015 में भारत में 15.6 मिलियन गर्भपात हुए। इसका अर्थ है कि 15 से 49 वर्ष की आयु की प्रति 1,000 महिलाओं पर गर्भपात की दर 47 थी। इसी प्रकार, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसो फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (युसेड) के 2018 के एक अध्ययन में कहा गया है कि "राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–3 से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4 तक कुल प्रजनन दर में 18.5 प्रतिशत से अधिक गिरावट आई है। गिरावट गर्भपात (62 प्रतिशत) और विवाह में उम्र (38 फीसदी) बढ़ने के कारण आई।"

सरकार को ऐसे लोगों को विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहन देने का प्रयास करना चाहिये जो परिवार नियोजन पर ध्यान देते हैं तथा छोटे परिवार को प्राथमिकता देते हैं। परिवार नियोजन से जुड़े परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये तथा ऐसे परिवार जिन्होंने परिवार नियोजन को नहीं अपनाया है उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से परिवार नियोजन हेतु प्रेरित करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त, एक महत्वपुर्ण पहलु पर ध्यान आर्कषित करना इस आलेख का उद्धेश्य है। राष्ट्र के आर्थिक विकास हेतु कितनी जनसंख्या वृद्धि आवश्यक है इसका पूर्व अनुमान लगाना नितांत आवश्यक है। यदि वैश्विक परिदृश्य में देखें तब ज्ञात होता है कि कई राष्ट्र न्यून जनसंख्या वृद्धि दर से ग्रस्त हैं जबकि कुछ राष्ट्र उच्च जनसंख्या वृद्धि दर से ग्रस्त हैं। अतः राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखत हुए उचित जनसंख्या प्रबंधन नितांत आवश्यक है। वर्तमान जन को उच्च जीवन स्तर प्रदान करना जनसंख्या प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। नागरिकों को उच्च जीवन गुणवत्ता प्रदान करने के लिये शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली के विकास पर भारी निवेश करना होगा, अनाजों व खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन तथा भण्डारण, आवास निर्माण, शतप्रतिशत स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, पक्की सड़क, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और ऊर्जा आदि जैसे आधारिक संरचना को मजबूत बनाना होगा।

जनसंख्या प्रबंधन के लिए एक विशाल तंत्र की आवश्यकता होगी। इस तंत्र में उच्च अधिकारी से लकर नियमित कर्मचारी हो जिससे कि उचित ढ़ंग से प्रबन्धन हो सके। भारत में विश्व की सर्वाधिक युवा एवं कार्यशील जनसंख्या है जो जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान है, किंतु रोजगार के अवसर सीमित ही उपलब्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विषय विभाग के जनसंख्या प्रकोष्ठ 2017 प्रतिवेदन में अनुमान लगाया गया है कि भारत की जनसंख्या लगभग सात वर्षों में चीन से अधिक हो जाएगी। वर्ष 2050 तक देश की शहरी जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी, जिसके चलते शहरी सुविधाओं में सुधार और सभी को आवास उपलब्ध कराने की चुनौती होगी, साथ ही पर्यावरण को भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा।

जनसंख्या नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय अधिनियम (कानून) की बात की जाए तो 2018 में लगभग 125 सांसदों ने राष्ट्रपति से भारत में दो बच्चों की नीति लागू करने का आग्रह किया था। 2016 में बीजेपी सांसद प्रह्लाद सिंह पटेल का जनसंख्या नियंत्रण पर एक निजी सदस्य बिल मतदान के चरण तक नहीं पहुँच सका। जनसंख्या नियंत्रण के लिए या सूक्ष्म परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए कई राज्यों ने पहले से ही दंडात्मक प्रावधान लागू कर रखे हैं। मोदी जी के भाषण के उरांत बीजेपी के नेतृत्व वाली असम सरकार ने दो वर्ष से अधिक समय पुर्व पारित असम जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति को लागू करने का निर्णय किया। इसके अंर्तगत, "जनवरी 2021 से असम में दो से अधिक बच्चे वाला कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा।" 12 राज्यों में ऐसे ही प्रावधान लागू हैं जो दो–बाल नीति की शर्तों को पूरा न कर पाने की स्थिति में योग्यता व अधिकार से जुड़े प्रतिबंध लगाते हैं। इन प्रतिबंधों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने से लोगों पर रोक लगाना भी सम्मिलित है। अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जनसंख्या नीति विचार–विर्मश में है।

जनसंख्या नियोजन हेतु प्रभावशाली अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर सर्व सहमति से पास करना एक अद्भुत लक्ष्य होगा क्योंकि देश की राजनीति जाति धर्म और क्षेत्र के आधार पर चलती है जहां सभी को संतुष्ट करना एक दुष्कर कार्य है। वर्ष 2020–21 में जनगणना का कार्य नहीं हो पाया है किंतु राजनीतिक दल पिछड़ी जाति की जनगणना की माँग कर रहे हैं। देश में अनेक कानून है जो लागू हो चुकी हैं किंतु अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहे हैं जैसे–दहेज निरोधक अधिनियम, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निरोधक अधिनियम, भ्रूण हत्या निरोधक अधिनियम आदि।

निष्कषर्तः कहा जा सकता है कि कानून का सहारा लेने के साथ–साथ जागरूकता अभियान, प्रोत्साहन, शिक्षा की सुगम पहुँच को बढ़ाकर तथा निर्धनता निवारण जैसे उपाय करके जनसंख्या नियंत्रण के लिये प्रयास होने चाहिये। नागरिकों की मुलभुत आवश्यकताओं को पूरा करने को आधारिक सामाजिक संरचना प्रदान करने के लिये भारत को अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। भारत को मानव पूँजी का सुदृढ़ आधार बनाना होगा जिससे कि वे नागरिक देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकें।

♦♦♦♦♦

- संदर्भ सूची
- द हिन्दू
- द इण्डियन एक्सप्रेस
- बिजनेस लाइन
- बिजनेस टूडे आदि।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण – 4 (2015–16)
- आर्थिक सर्वेक्षण
- जनगणना 2001
- यू.एन. जनसंख्या रिपोर्ट आदि।

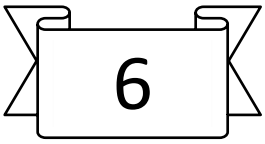

जनसंख्या वृद्धिः समस्या, नीति और स्त्रीवादी विमर्श

निशांत यादव

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

जनसंख्या वृद्धि की समस्या गहन स्थिति को दर्शाती हुई विस्फोट की अवस्था तक पहुँच गई है। इस तथ्य पर समाज वैज्ञानिकों में कोई मतभेद नहीं है। अर्थात् 19वीं शताब्दी में दोगुनी हो गई और जिस गति से इसमें वृद्धि हो रही है शीघ्रता ही यह छह अरब का आंकड़ा भी पार कर जाएगी। जनसंख्या का यह विस्फोटक अवस्था कृषि क्षेत्र में विकास, विज्ञान और चिकित्सा में अत्याधुनिक प्रगति से प्रेरित था। इस विकास और प्रगति नें लोगों की जीवन प्रत्याशा को बढ़ा दिया है। जिससे एक ओर जहाँ लोगों की आयु लम्बी हो रही है वहीं दूसरी ओर जन्मदर भी बढ़ रहा है जो प्राकृतिक संसाधनों पर दोहरी मार को दर्शाता है।

इसके परिणामस्वरूप 20वीं शताब्दी से जनसंख्या नियंत्रण और इस पृथ्वी ग्रह के सीमित संसाधनों के प्रबंधन पर अधिक ध्यान केंद्रित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी है। राज्य, सरकार और राजनीतिक दलों के लिए यह विषय इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि उन्हें सेवाएं देने और लोगों के लिए उत्तम जीवन में बाधक समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता होती है फिर चाहे वह यातायात अवरोध हो या उत्तम परिवहन सुविधाएं या उचित आय को सरल बनाया जाना। इन सभी में जब नीति–निर्माता विफल हो जाते हैं, तो बढ़ती जनसंख्या कभी–कभी तो उनके लिए ढाल के रूप में कार्य करती है। किन्तु अधिकतर यह उनके सम्मुख एक विकराल समस्या की ओर संकेत करती है। इसी कारण भारत को सत्तारूढ़ राजनीतिक व्यवस्था जिसमें केंद्र एवं राज्यों की सरकारों की नीतियों पर ध्यान दिया जाए तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में ये न केवल सदैव मुखर रही हैं अपितु इन्हें सक्रिय रूप में इस समस्या के समाधान की ओर बढ़ते देखा गया है ।

वर्तमान भारत

वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र चीन है। इसके पश्चात् भारत भारत विश्व में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है जो विश्व के महज 2.4 प्रतिशत भूमि क्षेत्र पर अवस्थित है और विश्व जनसंख्या के 17.5 प्रतिशत् नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका तात्पर्य है कि विश्व का प्रत्येक छठा भारतीय है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुमान है कि एक सौ तीस करोड़ निवासियों वाला भारत 2024 तक चीन की एक सौ चालीस करोड़ की जनसंख्या को पार कर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र बन जाएगा।

जनसंख्या की इस व्यापक वृद्धि को सामान्यतः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जिसे पृथ्वी पर अनावश्यक बोझ और भय के रूप में देखा जाता है। भारत में जनसंख्या अपने इष्टतम सीमा को पार कर गई है और राज्य पर एक दायित्व बन गई है। जिस कारण से भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या आर्थिक नियोजन एवं विकास की सफलता में एक बड़ी बाधा सिद्ध हो रही है। इसी बाधा से निदान के रूप में जनसंख्या नियंत्रण के लिए विधि का निर्माण प्रक्रिया में आ चुका है। सभी जनसंख्या नियंत्रण कानूनों के साथ उत्तर प्रदेश प्रारूप विधेयक प्रोत्साहनों और हतोत्साहन को सूचीबद्ध करने से पहले एक महान उद्देश्य के साथ प्रारम्भ होता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति और उस पर राजनीति का दृष्टिकोण भारत में लंबे समय से प्रचलन में है। 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण पर विधेयक का प्रारूप जारी किया जिसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक, 2021 के नाम से संबोधित किया गया।

उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रस्तावित कानून

हाल ही में 2021–2030 के लिए नई जनसंख्या नीति का अनावरण करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य राज्य की जन्म दर का 2026 तक 2.1 प्रति हजार जनसंख्या और 2030 तक 1.9 तक लाना है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रजनन दर प्रति हजार जनसंख्या पर 2.7 है। यह राज्य भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है जिसमें लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं और जो राष्ट्र की जनसंख्या का 16.5 प्रतिशत है। नई जनसंख्या नीति के अनावरण से कुछ दिन पहले जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का प्रारूप सार्वजनिक क्षेत्र में जारी किया गया था। यह विधेयक दो तथ्य प्रस्तुत करता हैय प्रथम, यह कर्मचारियों और उनके जीवन साथी को बच्चों के लिए पदोन्नति, वेतन वृद्धि और शिक्षा के साथ दो बच्चे होने के बाद नसबंदी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और द्वितीय, यह दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, पदोन्नति की मांग करने, सरकारी सब्सिडी से लाभ उठाने और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए चुनाव लड़ने से रोकता है।

भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित कानून से महिलाओं पर असंगत रूप से प्रभाव पड़ने की आशा है। प्रदेश की महिलाएं परिवार नियोजन का भार वहन करें, ऐसा इस विधेयक से प्रतीत होता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 (एनएफएचएस–4) के अनुसार, राज्य में जहां महिलाएँ 17.3 प्रतिशत के साथ नसबंदी अपनाती हैं वहीं पुरुष नसबंदी केवल 0. 1 प्रतिशत है। जो यह दर्शाता है कि पुरुषों की तुलना में महिला नसबंदी को अपने परिवार नियोजन विधि के रूप में अधिक उपयोग करती हैं। जब कि महिला नसबंदो पुरुष नसबंदी या गर्भ निरोधकों के उपयोग की तुलना में अधिक असुरक्षित और अपरिवर्तनीय हैं।

जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के अंतर्गत नसबंदी को प्रोत्साहित करके उत्तर प्रदेश सरकार परिवार नियोजन के लिए महिलाओं पर और जिम्मेदारी डाल रही है। यह कंडोम के उपयोग जैसे सुरक्षित तरीकों के बढ़ते उपयोग की प्रवृत्ति को पीछे करने का भी जोखिम है। एनएफएचएस–4 के अनुसार,

कंडोम उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन के लिए दूसरा सबसे लोकप्रिय उपाय है। जो भारत के राष्ट्रीय औसत के समान है।

उपर्युक्त विधेयक में नसबंदी पर प्रोत्साहन नें इसे महिला अधिकार संगठनों, स्वास्थ्य नेटवर्क, और शिक्षाविदों द्वारा आलोचना के घेरे में खड़ा कर दिया है। जिनका मानना है कि यह विधेयक महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार और महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने के स्थान पर महिलाओं की प्रजनन क्षमता को नियत्रित करने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिए ज्ञापन में लिखा है, प्रस्तावित विधेयक को असंवैधानिक माना जाना चाहिए क्योंकि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के परिणामस्वरूप गर्भपात सेवाओं में व्यापक अंतर को देखते हुए पत्नियों और बच्चों, विशेष रूप से बेटियों के परित्याग में वृद्धि हो सकती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां जन्म के दौरान बेटे की वरीयता अधिक रहती है, वहां बेटी को जन्म देने के पश्चात् पत्नी–माँ या तो छोड़ दो जाती हैं, तलाकशुदा जीवन व्यतीत करती है या मार दी जाती हैं।

नौकरशाह निर्मला बुच के एक अध्ययन में पाया गया कि पांच भारतीय राज्यों (आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और राजस्थान) में जहां दो बच्चों की योग्यता स्थानीय निकायों में लागू की गई, वहां यौन चयनात्मक और असुरक्षित गर्भपात बढ़े, परिवारों नें बच्चों को गोद लेने के लिए छोड़ दिया, और पुरुषों ने अयोग्यता से बचने के लिए अपने जीवन साथी को तलाक दिया या परित्यक्त कर दिया। दो बच्चों की नीति लागू करने से लिंग–चयनात्मक गर्भपात और महिला भ्रुण हत्या की समस्या भी बढ़ जाएगी, जैसा कि इस अध्ययन में और चीन के विषय में साक्ष्य के रूप में देखा जा सकता है, जिसने अपनी एक बच्चे की नीति की शुरुआत के पश्चात् महिला शिशु हत्या में अत्यधिक वृद्धि देखी।

उत्तर प्रदेश इस प्रकार के जनसंख्या नियंत्रण उपाय शुरू करने वाला दूसरा भारतीय जनता दल शासित राज्य है। पिछले माह में, असम ने एक ऐसी नीति के लिए योजनाओं की घोषणा की जो दो से अधिक बच्चों वाले परिवारों को सरकारी लाभों से अयोग्य घोषित कर देगी। उत्तर प्रदेश की तरह गुजरात में अगले वर्ष होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव आमने–सामने होंगे। गुजरात सरकार ने भी कहा है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक का अध्ययन कर रही है और अपने विषय विशेषज्ञों से इस पर सुझाव माँग रही है। उत्तर प्रदेश से भाजपा के सांसद रवि किशन ने भी संसद के मौजूदा मानसून सत्र में इसी प्रकार का जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पेश करने की योजना बनाई है।

हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि महिलाओं की शिक्षा में सुधार प्रजनन दर को कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून का उत्तम उपाय है। कुमार ने कहा, जब महिलाएं ज्यादा पढ़ी–लिखी और जागरूक हो जाएंगी तो जनसंख्या वृद्धि कम हो जाएगी। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे अन्य भारतीय राज्यों नें भी साक्षरता दर में वृद्धि करके जनसंख्या दर में कमी के लक्ष्य को प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश में देश के शेष भागों की तुलना में परिवार नियोजन कवरेज कम है।

एक अनुमान के अनुसार, यह राज्य पूरे भारत में परिवार नियोजन के लिए कुल आपूर्ति आवश्यकता का 25 प्रतिशत ही है।

2015–16 में उत्तर प्रदेश में हर छह विवाहित महिलाओं में से एक गर्भनिरोधक उपायों तक अपनी पहुंच नहीं बना सकी और अनपेक्षित गर्भावस्था नें उनके स्वास्थ्य को संकट में डाल दिया। परिवार नियोजन तक पहुंच बढ़ाने से राज्य की प्रजनन दर में कमी लाने में सहायता मिल सकती है। प्रस्तावित दंडात्मक जनसंख्या नियंत्रण कानून के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए परिवार नियोजन और शिक्षा तक पहुंच में सुधार से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुख और समृद्धि का मार्ग लाने में सर्वोत्तम रूप से सहायता मिल सकती है ।

निष्कर्ष

अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि विश्व में एक ज्वलंत विषय है और सभी देश इस वैश्विक समस्या का समाधान खोज रहे हैं। यदि जनसंख्या कम है, तो मानव संसाधन से दूर नहीं है। यदि जनसंख्या वृद्धि अधिक है तो संसाधनों का अभाव सदैव रहता है। अतः प्रत्येक राष्ट्र के विकास के लिए संतुलित जनसंख्या आवश्यक है। जन जागरूकता बढ़ाने और सख्त जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों को लागू करके भारत भी इस विषय से निपटने में सक्षम हो सकता है। बढ़ी हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के सर्वोत्तम उपायों में से एक परिवार नियोजन नीति को अपनाना है। यदि सभी परिवार नियोजन नीति अपना रहे हैं, अर्थात स्वयं को सीमित करना, केवल दो बच्चे पैदा करना, तो हम कुछ हद तक बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। राज्य और नागरिक सभी को इस पर सही दिशा में विचार करना चाहिए। संक्षेप में कहें तो अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक है। इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाना चाहिए और इस तथ्य से अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश जैसे उच्च जनसंख्या वाले राज्य में प्रजनन क्षमता में गिरावट भारत के लिए अपने जनसंख्या नियंत्रण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। किन्तु इसे इस प्रकार बनाएँ कि इसका महिलाओं पर कोई असंगत प्रभाव न पड़े।

♦♦♦♦♦

- संदर्भ–सूची

- आहूजा, राम (2014). सामाजिक समस्याएँ. जयपुरः रावत प्रकाशन
- आहूजा, राम (2010). भारतीय समाज. जयपुरः रावत प्रकाशन
- https://www.downtoearth.org.in/hindistory/development/sustainabledevelopment/population-control-law-why-politics-is-happening-69726

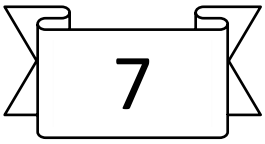

जनसंख्या नियंत्रण हेतु उपायः राजनीतिक कानून अथवा सार्वजनिक कर्तव्य

राजेन्द्र कुमार

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

बढती जनसंख्या सदैव से ही सम्पूर्ण विश्व भर के लिए समस्या का एक कारण बनी हुई है, क्योंकि विश्व की जनसंख्या अब 7.7 अरब से भी अधिक हो चुकी है। इसका दबाव प्राकृतिक संसाधनों, सामाजिक वस्तुओं व सुविधाओं पर प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। विशेष रूप से भारत में जो जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस विषय में भारत मात्र अपने चिर प्रतिद्विदी व पड़ोसी चीन से पीछे है। भारत के लिए बढ़ती जनसंख्या बढ़ती बेरोजगारी, भुखमरी व अपराध आदि को जन्म दे रहा है।

ऐसा नहीं है कि इस समस्या को लेकर भारत सचेत नहीं है या प्रयास नहीं कर रहा है परंतु फिर भी आधारिक स्तर पर कोई ऐसे परिणाम निकाल कर नहीं आ रहे। विश्व बैंक के एक प्रतिवेदन के अनुसार सुखदपूर्ण एक कथ्य सम्मुख उपस्थित हुआ है कि जनसंख्या वृद्धि दर कम होकर 1 प्रतिशत हुई है। परंतु जनसंख्या को नियंत्रित अथवा नियोजित करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में प्रश्न यह है कि यह कैसे संभव हो पाएगा? वर्तमान समय मे भारत के पास दो उपाय है।– राजनीतिक कानून (दो बच्चों की नीति) व सार्वजनिक कर्तव्य (जनता में परिवार नियंत्रण व नियोजन की चेतना) अब हमें इन दोनों अथवा इनमें से कोई अधिक उपयोगी उपायों को अपनाना होगा। साथ ही इन दोनों की सूक्ष्मता को भी समझने का प्रयास करना होगा।

जनसंख्या नियंत्रण पर राजनीतिक कानून की प्रष्ठभूमि

हाल ही मे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी योगी आदित्यनाथ जी ने अपने राज्य के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून का प्रारूप तैयार किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा भी उनसे पहले से इसी पर कार्य कर रहे थे। सामान्य रूप से देखा जाए तो राज्य सरकारें दो बच्चों से अधिक वाले परिवारों को सरकारीध्सार्वजनिक वस्तु अथवा सुविधाओं को कटोती करना चाहती है। उन्हें सरकारी नौकरी या स्थानीय निकायों में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाना चाहती है। ऐसा ही आंशिक प्रयास पूर्व से ही महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना भी कर चुके है। क्योंकि सन् 1976 के 42 वें संविधान संशोधन के अनुसार सातवी अनुसूची की तीसरी सूची में जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन समाविष्ट किया गया था। जिसके अंतर्गत केंद्रीय व राज्य सरकारें जनसंख्या या परिवार नियोजन पर कानून बना सकती है {नवीन कुमार पाण्डेय, छठज (क्मब 2020)}.

यहा देखने योग्य यह है कि केंद्रीय सरकार ने अभी तक जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून प्रस्तुत करने का कोई ठोस प्रयास क्यों नहीं किया है? यद्यपि अटल बिहारी सरकार ने सन् 2000 में वेंकट चलैया आयोग का गठन किया था जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश एम एन वैंकेट चलैया थे। इस आयोग ने सन् 2002 मे हो अपनी सिफारिश प्रतिवेदन सरकार को सौंप दी। (नवीन कुमार पाण्डेय, छठज्द्ध, परंतु आगे कुछ नहीं हो पाया। वर्तमान केंद्र सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण अथवा परिवार नियोजन पर कोई कानून जनता पर थोपना नहीं चाहती व इसे जनता का निजी क्षेत्र मानती है। इस प्रकार जहां राज्य सरकारें सरकारी राजनीतिक कानूनों का सहारा लेती है, वहाँ केंद्र इस विषय को सार्वजनिक कर्तव्य पर छोड़ रही है, क्योंकि वह किसी भी प्रकार की धार्मिक, सामाजिक वाद–विवाद से बचने का प्रयास कर रही है। और करे भी क्यों नहीं? जब हमारे पास आपातकाल के दौरान संजय गांधी द्वारा किया गया नसबंदी कांड का उदाहरण सम्मुख है।

उस दौरान भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को लक्ष्य बनाते हुए दृढ़तापूर्वक नसबंदी करने का जो भयावह कृत्य किया गया वह अत्यधिक घातक था। सलमान रुशदी ने 1981 की अपनी रचना "मिड्नाइट चिल्ड्रन" में भी इसके अंशों को दिखाने का प्रयास किया है अर्थात् कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्र सरकार परिवार नियोजन अथवा जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर किसी भी धार्मिक, जातीय, सजातीय संवेदना को आहत नहीं करना चाहती है। अतः जनसंख्या नियत्रण एक सार्वजनिक विषय है जो किसी भी पंथ व जाति से ऊपर है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि का कारण कोई एक पंथ या जाति नहीं है।

जनसंख्या वृद्धि को कम करने हेतु सार्वजनिक कर्तव्य

भारत में जब जनसंख्या नियंत्रण या नियोजन को लेकर बात की जाती है तो यह विषय सामाजिक नहीं रह पाता है। सामाजिकता के स्थान पर इसका स्वरूप पंथिक हो जाता है। आकड़ों के अनुसार, सन् 2001 में हिंदुओं में जनसंख्या वृद्धि दर 19.92 प्रतिशत थी जो सन् 2011 में घटकर 16.72 प्रतिशत हो गई, वही मुस्लिमों की संख्या सन् 2011 मे 29.5 प्रतिशत थी जो सन् 2011 मे घटकर 24.6 प्रतिशत हो गई। अर्थात मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि दर काम हुई है। इसे मात्र वोट बैंक हेतु पंथिक स्वरूप दिया जा रहा है। सन् 2001 से सन् 2011 के मध्य जनसंख्या का स्तर थोड़ा कम होना दर्शाता है कि यह किसी जनसंख्या नियंत्रण कानून के कारण नहीं अपितु विवाह की उम्र मे बढ़ोतरी के कारण व दो बच्चों के मध्य अंतराल बढ़ने के कारण भी हो रहा है। लोगों मे परिवार नियोजन को लेकर मात्र जागरूकता ही नहीं आई अपितु अधिक बच्चों के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को लेकर भी जागरूकता आई है।

इसलिए सर्वोत्तम यही होगा कि सरकारें (राज्य व केंद्र) जनसंख्या नियंत्रण के लिए सार्वजनिक कर्तव्य को विकसित करने का कार्य करे परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को बढ़ा चढ़ाकर जनता के सम्मुख प्रस्तुत करे जिससे कि जनता को राजनीतिक कानून के स्थान पर सार्वजनिक कर्तव्य के लिए जागरूक किया जा सके।

♦♦♦♦♦

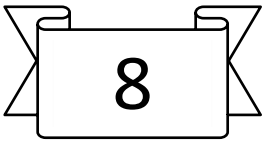

जनसंख्या प्रबंधन कार्यक्रमः राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का एक विश्लेषण

काजल

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

वर्तमान समय में जनसंख्या नियंत्रण व प्रबंधन को लेकर भारत के दो बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश एवं असम ने अपनी नीतियों को सामने रखा है, जो बुद्धिजीवियों के मध्य एक विमर्श का विषय बन गया है। वर्तमान समय में, क्या भारत में जनसंख्या नियंत्रण नीति व कानून की आवश्यकता है? इस प्रश्न को लेकर विभिन्न विचार सामने आ रहे हैं। भारत, विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, जो विश्व की 16.87 प्रतिशत जनसंख्या में निवास करता है, परंतु उसके पास पृथ्वी पर उपलब्ध भ्मि का मात्र 2.4 प्रतिशत भू–भाग है। ये दो आंकड़े प्राकृतिक और पूंजीगत संसाधनों की उपलब्धता में उपस्थित असंतुलन तथा इन संसाधनों के आधार पर जनसंख्या के परिमाण के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। यह उन कारणों की भी उचित प्रकार से व्याख्या करते है कि क्यों यह देश समग्र आर्थिक विकास के साथ–साथ मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के विषय में पिछड़ गया है।

जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की आवश्यकता भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश की विकास नीति को बाधित करती है। तथा निर्धनता व बेरोजगारी आदि के निर्वाह की ओर ले जाती है। इसलिए, भारत प्रथम ऐसा देश है जिसने आधिकारिक रूप में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। तथापि, विभिन्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं के वितरण के लिए बनाई गई स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली भारी जनसंख्या वृद्धि को कम करने के साथ–साथ सामान्य जनता के स्वास्थ्य मानकों को उत्तम बनाने के लिए पर्याप्त प्रभावी नहीं रही है। इस आलेख में, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है, जिसे भारत में बढ़ती जनसंख्या और इसकी मांग को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था।

भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण

अधिक जनसंख्या कई कारणों से हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में परिवार नियोजन का अभाव है। अधिक समय से स्थापित पारंपरिक मान्यताओं के कारण भारतीय परिवारों में पुरुष बच्चे को प्राथमिकता दी जाती है। यह एक गलत धारणा है कि परिवार में कई बच्चे परिवार की आय के लिए अधिक सहयोग देंगे। परंतु इन बच्चों को भोजन, शिक्षा और आनंदमय बचपन की उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरी करने का प्रयास करना चाहिए, जो प्रायः भारत में समाज के कुछ वर्गों में खो जाती है।

साथ ही, भारत की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) को प्रति महिला जीवित जन्मों की औसत संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में वर्तमान टीएफआर 2.4 है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भारत में सबसे अधिक टीएफआर हैं। यह पाया गया कि भारत में निरक्षर वर्ग की महिलाओं का टीएफआर 3.1 है, जबकि 12 वर्ष या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं में टीएफआर 1.7 है। इसके अतिरिक्त, मृत्यु दर में कमी, सरलता से उपलब्ध चिकित्सा, तकनीकी सुविधाएं और खाद्य उत्पादन में वृद्धि और बढो हुई जनसंख्या के कारण हैं।

बढ़ी हुई जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं

किसी भी देश की जनसंख्या का सीधा संबंध उसके विकास से होता है। किसी देश की संपत्ति और समृद्धि को उसकी जनसंख्या के परोक्ष रूप से आनुपातिक रूप से देखा जाता है। विकसित देशों में घटती जनसंख्या प्रवृत्ति दिखाई देती है व अविकसित और विकासशील देशों में उच्च जनसंख्या वृद्धि दिखाई देती है। भारत में अधिक जनसंख्या होने की समस्याओं पर संक्षेप में निम्न रूप से विचार–विमर्श किया गया है।

सीमित संसाधनः प्राकृतिक संसाधन, ईंधन, भूमि, खेती और ऐसी अचल संपत्ति सीमित मात्रा में हैं। भारत की भूमि की सतह लगभग 3.28 मिलियन कि.मी. 2 तक विस्तृत है। इस क्षेत्र पर लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या रहती है। जितने अधिक लोग, उतने ही अधिक संसाधनों की उन्हें आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, भारतीय अर्थव्यवस्था अपने विकास के लिए मुख्य रूप से कृषि और उद्योगों पर निर्भर करती है, जिसके लिए इन संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए लोगों के मध्य पूंजी और संसाधनों का समान वितरण संभव नहीं है।

कम आर्थिक कोषः सभी के लिए आय का एक स्रोत आवश्यक है। तथापि, सभी के लिए आय, शिक्षा, नौकरी के अवसरों में असंतुलन के कारण बहुत से लोग बेरोजगारी और निर्धनता का सामना करते हैं।

पर्यावरणीय विषयः स्वच्छता की कमी, कचरे में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि, प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है।

नगरपालिका के विषयः उच्च मांग वाली सेवाओं में समस्याएं, किन्तु आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और परिवहन सेवाओं का उनका अनुचित वितरण होता है।

परंतु हम अपनी 138 करोड़ जनसंख्या को इन विषयों के कारण एक दायित्व के रूप में वहन नहीं कर सकते। उचित नियोजन, संसाधनों के प्रबंधन के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना संभव है और इसे भारत और अन्य स्थानों पर लागू किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा जनसंख्या प्रबंधन नीतियाँ

महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार के अंतर्गत मानव संसाधन और विकास मंत्रालय जैसे मंत्रालय भारत की जनसंख्या के कल्याण के लिए नीतियां

बनाने और विनियमित करने के लिए उत्तरदायी हैं। भारत द्वारा जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए 1952 में परिवार नियोजन पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया और ऐसा करने वाला भारत प्रथम देश था।

इसके पश्चात्, भारत सरकार द्वारा 1967 में सामूहिक नसबंदी अभियान में पुरुषों में अनिवार्य परंतु बलपूर्वक नसबंदी सम्मिलित थी। इसे मुख्य रूप से सरकार के हितों के कारण निष्पादित एक क्रूर और अनुचित प्रकार से लागू किया गया उपाय कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बड़े स्तर पर लागू की गई नीतियों पर विचार–विमर्श करना इस आलेख का अगला भाग है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

1951 में आधिकारिक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश रहा है। तालिका 1 प्रासंगिक संकेतकों पर 1951–2001 की अवधि के लिए जनसांख्यिकीय आंकड़ा देती हैं। तालिका 1 इंगित करती है कि भारत की जनसंख्या का आकार निरंतर बढ़ रहा है। पिछले 50 वर्षों के दौरान यह लगभग 3 गुना बढ़ गया है। तथापि, जनसंख्या की दशकीय और घातीय वृद्धि दर, 1951–71 के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति के पश्चात निरंतर गिर रही है। 1991–2001 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर में तीव्रता से (2.52 प्रतिशत) गिरावट आई, यद्यपि इस दौरान भारत के मृत्यु दर में भी भारी गिरावट आई है।

तालिका–1

जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या (करोड़)	औसत वृद्धि
दर (घातीय)	जन्मदर (सीबीआर)	दस वर्ष का

विकास दर

1951	36.11	1.96	41.7	13.31
1961	43.92	2.20	41.2	21.51
1971	54.79	2.25	37.2	24.80
1981	68.52	2.22	33.9	24.66
1991	84.63	2.14	29.5	23.86
2001	102.70	1.93	25.8	21.34
2011	125.03	1.3	21.8	17.64

स्रोतः भारत की जनगणना

तथापि, यह ध्यान देने योग्य है कि 2001 में भारत की जनसंख्या 102.70 करोड़ थी। इस प्रकार, 1991–2001 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या के पहले से ही विशाल आकार में 181 मिलियन लोगों को जोड़ा गया। यह युगल संरक्षण दर (सीपीआर) में 1951 में 10.4 प्रतिशत के निम्न स्तर से 1998–99 में 48.2 प्रतिशत (एनएफएचएस–द्वितीय) में भारी वृद्धि के बाद भी हुआ। जो स्पष्ट रूप से

इंगित करता है कि जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य अभी भी हमसे दूर है। इस तथ्य के बाद भी कि पिछले दशकों के दौरान जन्म दर में लगातार गिरावट आ रही है (1951 में 41.7 के उच्च स्तर से 2000 में 25.8 के निम्न स्तर तक) (एसआरएस) भारत अभी भी जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य से दूर है। परिणामस्वरूप, निकट भविष्य में कुल जनसंख्या के मामले में भारत चीन से आगे निकलन सकता है। स्वाभाविक रूप से, इस कारण हम आर्थिक विकास और समृद्धि में पिछड़ जाएंगे। आज भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अर्थव्यवस्था की तीव्र विकास दर कैसे प्राप्त की जाए और साथ ही जनसंख्या वृद्धि की विशालता को कैसे रोका जाए।

राष्ट्रोय जनसंख्या नीति–2000

फरवरी 2000 में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 की घोषणा की और इस नीति के तीन स्तरीय उद्देश्यों की विचार–विर्मश किया गया, जो निम्नलिखित हैं।–

1. तत्काल उद्देश्यः गर्भनिरोधक, स्वास्थ्य देखभाल आधारिक संरचना व बुनियादी प्रजनन आर बाल स्वास्थ्य देखभाल के लिए एकीकृत सेवा वितरण के प्रावधान की अपर्याप्त आवश्यकताओं को संबोधित करना।
2. मध्यम अवधि का उद्देश्यः 2010 तक प्रजनन क्षमता का प्रतिस्थापन स्तर या कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2.1 प्राप्त करना।
3. दीर्घकालिक उद्देश्यः 2045 तक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना।

इस नीति में 4 नई संरचनाओं के माध्यम से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है, जिसमे 12 रणनीतिक विषय, 2010 के लिए 14 राष्ट्रीय सामाजिक–जनसांख्यिकीय लक्ष्य, छोटे परिवार के मानदंड को अपनाने के लिए 16 प्रचार और प्रेरक उपाय और 101 परिचालन रणनीतियाँ सम्मिलित है।

एनपीपी 2000 ने 2010 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए है जो निम्नलिखित हैं–

- 14 वर्ष की आयु तक लड़के और लड़कियों दोनों की शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य की जाए, जिससे कि बच्चों की शिक्षा में वृद्धि हो और ड्रॉप–आउट दर को कम किया जा सके।
- शिशु मृत्य, दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से कम करना और एमएमआर (मातृ–मृत्यु अनुपात) 100 से कम मृत्यु 100000 जीवित जन्म।
- इसका उद्देश्य सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के अंतर्गत भारत में सभी बच्चों को टीके से बचाव योग्य बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण करना है।
- नीति का उद्देश्य लड़कियों के विलंबित विवाह को प्रोत्साहित करना भी है। जबकि बालिका विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी आयु 18 वर्ष है, किन्तु अनुकूल रूप से 20 होनी चाहिए।
- अस्पतालों और क्लीनिकों जैसे संस्थानों के साथ भारत में कुल प्रसव का 80 प्रतिशत प्राप्त करना। 100 प्रतिशत कर्मियों को उचित प्रकार से प्रशिक्षित और इसके लिए पात्र होना चाहिए।

- दंपत्तियों की गर्भनिरोध और प्रजनन संबंधी आवश्यकताओं के लिए परामर्श और सूचना सेवाएं प्रदान करना।
- एनपीपी का एक उद्देश्य एड्स, आरटीआई (प्रजनन पथ संक्रमण), और एसटीडी (यौन संचारित राग) के प्रसार को कम करना और रोकना था।
- उच्च मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए सभी संचारी रोगों की रोकथाम करना।
- एनपीपी ने प्रजनन और बाल स्वास्थ्य आवश्यकताओं और सेवाओं को समझने में नागरिकों की सहायता करने के लिए भारतीय चिकित्सा प्रणाली (आईएसएम)–जिसमें आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी सम्मिलित हैं– को मिलाने का प्रयास किया।
- परिवारों को दो बच्चों के सिद्धांत को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

कमियाँ व सुझाव

निस्संदेह, सरकार इन लक्ष्यों को 2010 तक या 2020 तक भी प्राप्त करने में विफल रही है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 की घोषणा के 20 वर्ष पश्चात् भारत की जनसंख्या की स्थिति अधिक ठीक नहीं है। 28 जुलाई, 2020 तक भारत की मध्य–वर्ष की जनसंख्या 138 करोड़ से अधिक थी। जिसे विश्व में 'जनसंख्या विस्फोट' के नाम से जाना जाने लगा है। तथापि, लोगों में जागरूकता बढ़ने से जन्म दर में कमी आई है और महिलाओं में टीएफआर नियंत्रित हुआ है। अन्य विकास जैसे महिलाओं की शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में अधिक जागरूकता, गर्भनिरोधक विधियों को प्रदान करने की विभिन्न रणनीतियाँ आदि सफल रहे हैं ।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की कुछ कमियां रही हैं, जिनकों समझना आवश्यक है। सर्वप्रथम, एनपीपी का एक संकीर्ण दृष्टिकोण है, जो गर्भनिरोधक आर नसबंदी को अधिक महत्व देता है। जनसंख्या को सार्थक रूप से नियंत्रित करने की शर्त में निर्धनता उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार और शिक्षा का प्रसार सम्मिलित है। द्वितीय, राष्ट्रीय स्तर पर, नीति का प्रचार नहीं किया गया और जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में जन समर्थन उत्पन्न करने में यह नीति विफल रही है। तृतीय, हमारे पास प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, कर्मचारियों के मध्य पर्याप्त योग्यता की कमी और जनसंख्या नियंत्रण के लिए उपकरणों के सीमित उपयोग या दुरुपयोग के कारण अपर्याप्त आधारिक संरचना है, जिसके परिणामस्वरूप नीति विफल हो गई है। अंत में, आपातकाल (1976–77) के दौरान बलपूर्वक नसबंदी प्रयोग ने जनता में आक्रोश उत्पन्न किया। जिसने एनपीपी को बहुत अलोकप्रिय बना दिया। जन्म दर को और नियंत्रित करने के लिए, सरकार को न केवल नीतियों के रणनीतिक क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिए, अपितु परिवार कल्याण क अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए जो नागरिकों को अपने लिए चुनने के लिए प्रेरित करेंगे। सरकार और लोगों दोनों को भारत की जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर एक बोझ के स्थान पर एक मूल्यवान मानव संपत्ति के रूप में देखने का प्रयास करना चाहिए।

♦♦♦♦♦

- संदर्भ–सूची

- Government of India (2011). '2011 census data' Office of the Registrar General & Census Commissioner, Ministry of Home Affairs, India
- Government of India (2015). 'National Population Policy 2000' National Health Portal, Ministry of Health and Family Welfare, India. https://nhm.gov.in/images/pdf/guidelines/nrhm-guidelines/national_population_policy_2000.pdf
- Government of India (2003). 'INDIA 2003-A reference annual' Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi.
- Government of India (2006). India 2006—A reference annual. New Delhi: Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting.
- Population Control, Press Information Bureau- Government of India, https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=194837

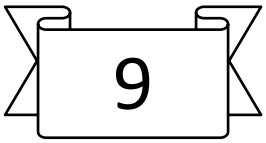

जनसंख्या नीति एंव नियोजनः एक अनुकूल व आवश्यक पहल

सृष्टि

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

किसी भी देश की नियंत्रित जनसंख्या देश के विकास में सहायक तथा अधिक जनसंख्या विकास के मार्ग में बाधा बन सकती है। यदि हम वैश्विक स्तर पर देखे तो दस सर्वाधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में विश्व की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। जिनमे से मुख्यतः छह एशिया में है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के दिन नई जनसंख्या नीति (2021–2030) की घोषणा की है। नीति के उद्देश्यों की घोषणा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस नीति के अंतर्गत संसाधनों की आपूर्ति, जनसंख्या पर नियंत्रण, मूलभूत सुविधाओं, शिक्षा तथा स्वास्थ्य का जन–सामान्य लोगों तक पहुँच व उचित व सहज वितरण तथा लैंगिक समानता लाने मे उपयोगी होगी। तथा इस प्रारूप मे दो से अधिक बच्चे होने पर व्यक्ति सरकारी योजनाओं व परियोजनाओं का लाभ नहीं उठा सकता, सरकारी रोजगार पाने के लिए आवेदन भी नहीं कर सकता है और इसके साथ न ही आधारिक तथा पंचायत के चुनाव लड़ सकता है। अपितु इसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार एक बच्चा होने पर विभिन्न प्रकार के लाभ देने जा रही है।– जैसे कि वीपीसीएल श्रेणी में आने वाले परिवारों को विशेषतरू प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान की गई है। एक बच्चा होने पर 77 हजार राशि पुत्र हेतु तथा पुत्री होने पर 1 लाख राशि प्रदान की जाएगी। पुत्री के उच्च शिक्षा तक निशुल्क पढ़ाई तथा पुत्र को 20 वर्ष तक निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृति व सरकारी नौकरियों में वरीयता प्रदान की जाएगी। अपितु दो से अधिक संतान होने पर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा और न ही वह व्यक्ति सरकारी रोजगार के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरी और एक बच्चे वाले सरकारी अधिकारीयो व कर्मचारीयों को चार अतिरिक्त वेतन वृद्धि कर दिया जाएगा।

1968 में पॉल आर एहरिच ने अपने शोध–आलेख में "द पॉपुलेशन बॉम्ब" में जनसंख्या विस्फोट को अनियंत्रीय कैंसर के समान बताया। अधिक जनसंख्या निर्धनता, पर्यावरण का क्षरण तथा राजनीतक अस्थिरता को उत्पन्न करतो है। इसके साथ–साथ बरोजगारी व अपराधों मे वृद्धि भी करती है,

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जंसख्या नीति की घोषणा करते समय अपने वक्तव्य में कहा था कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा तथा अवरोधक है। हमें प्रजनन दर पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रत्येक जाति, धर्म तथा समाज व समुदाय के लोगों को इस बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने पर ध्यान देना होगा। जिन–जिन देशों व राज्यों

में इसके जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास किए गए, वहाँ इसके सकारात्मक परिणाम देखे गए ह। अतः जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है बढ़ती जनसंख्या निर्धनता का भी कारण है।

प्रायः इस नीति का औचित्य सीमित संसाधनों व जनसंख्या विस्फोट की माल्थसियन धारणाओं को अस्वीकृत करने के लिए आता है। तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत धरती पर दूसरा अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है तथा उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम व पहल के पश्चात् निश्चित रूप से विरोध व प्रतिरोध की राजनीति भी प्रारंभ हो गई है, किन्तु यह राजनीतिक विषय नहीं है अपितु एक राष्ट्र के अधिकांश संकटों तथा समस्याओं की निरंतर विस्तृत होती संख्या को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण तथा आवश्यक कदम है। आज के समय में यह आवश्यक भी हो गया है।

संयुक्त राष्ट्र के एक प्रतिवेदन के अनुसार, वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2019 के मध्य भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 1.36 प्रतिशत हो गई है, जो कि चीन की तुलना में दोगुनी है। इस आकड़ें के अनुसार वर्ष 2020 में भारत की जनसंख्या लगभग 138 करोड़ के आस–पास तक पहुँच चुकी है। भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 7 प्रतिशत उत्तर प्रदेश के पास है, जबकि भारत की लगभग 17 प्रतिशत जनसंख्या इसी राज्य में रहती है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 80.61 प्रतिशत हिन्दू नागरिक थे तथा 18.50 मुस्लिम थे। किन्तु यदि हम वर्ष 2011 की जनगणना का अध्ययन व विश्लेषण करे तो प्रदर्शित होता है कि 3 वर्ष 2011 में हिंदुओं की संख्या घटकर 79.73 प्रतिशत रह गई और मुस्लिमों की संख्या बढ़कर 19.26 प्रतिशत हो गई। यह दर्शाता है कि वर्ष 2001 तथा वर्ष 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश राज्य में मुस्लिमों की जनसंख्या शीघ्रता से बढ़ी है जबकि हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट आई ह।

उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में जनगणना विभाग का भी कहना है कि 70 में से 57 जिलों में हिंदुओं की जनसंख्या मुस्लिमों की जनसंख्या की तुलना में कम हो रही है। इसी तथ्य को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर भी आरोप लग रहे है कि सरकार मुस्लिमों की जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहती है। इसके साथ कुछ विपक्षी दलों का भी कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये सब आने वर्ष 2022 के चुनाव के लिए कर रही है। इसी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रश्न उठाए है और कहा है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु मात्र यह कानून हो उपाय नहीं है। इसके अतिरिक्त, कुछ हिंदुवादी संगठनों का भी कहना है कि इस नीति के अंतर्गत प्रदेश में हिंदुओं की जनसंख्या शीघ्रता से कम होने लगेगी जबकि कुछ मुस्लिम नेताओं का भी मानना है कि बच्चे तो ऊपर वाले की देन है, तथा इसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2015 में भी जनसंख्या विषय को लेकर एक ऑनलाइन सर्वेक्षण भी कराया था। इस सर्वेक्षण में सामान्य नागरिकों से परामर्श मांगा गया था कि केंद्र में स्थित नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जनसंख्या विषय को लेकर किसी नीति व कार्यनीति का निर्माण करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की इन्ही विचारों से ज्ञात होता है कि यह सरकार इस जनसंख्या नीति को

लेकर कितनी गहन व गंभीर है। परंतु वास्तविकता तो यह है कि जनसंख्या में वृद्धि किसी भी समाज या समुदाय में हो, इसकी हानि राज्य को ही उठानी पड़ेगी। रोजगार कम है व बेरोजगारों की संख्या अपार है। जनसंख्या वृद्धि से और अधिक निर्धनता बढ़ेगी, रोजगार के अवसर कम होंगे तथा संसाधन भी कम होंगे, जिसका प्रभाव राज्य व राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा तथा जिससे विकास का मार्ग भी अवरुद्ध होगा। अतः जनसंख्या का नियंत्रित करना समय की मांग है।

अतः कहा जा सकता है कि बढ़ती व असंतुलित जनसंख्या देश में राजनीतक अस्थिरता को बढ़ाएगी तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्था को भी कमजोर करने का प्रयास करगी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का विरोध व समर्थन सामाजिकता व समुदायिकता तथा जातीयता, क्षेत्रीयता, लैंगिकता तथा वंशवाद, भाषागत व आस्थिक आधार पर नहीं करना चाहिए, अपितु सामाजिक हित को ध्यान में रखकर तथा भविष्य की चुनौतियों को आधार मानकर करना चाहिए। इसके लिए समाज के लोगों को एक साथ आना होगा व सामाजिक स्तर पर जन–जागरण व जन–चेतना को जागरूक करने की आवश्यकता पर ध्यान देना होगा, जिससे सामाजिक सचेतना जागरूक हो। इसके साथ ही समाज की जागरूक व्यक्तियों व संस्थाओं को भी इस दिशा में गति की प्रगति को सुनिश्चित करने में अपनी आवश्यक व अनुकूल पहल करनी चाहिए। अतः उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस संकल्प से हम संयम अर्थात् नियंत्रण की ओर अवश्य ही अग्रसर होंगे।

♦♦♦♦♦

- संदर्भ–सूची
- उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा तैयार, दो से ज्यादा बच्चे तो नौकरी नहीं, 20 जून 2021, प्रष्ठ– संख्या– 01, राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली।
- विरोध औचित्यहीन, 22 जून 2021, प्रष्ठ– संख्या– 10, राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली।
- https://www.un.org
- www.hindustatimes.com
- http://www.thehindu.com

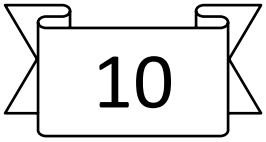

10

भारत में जनसंख्या नीतिः कारण, प्रभाव और समाधान

सुशांत यादव

अतिथि प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, NCWEB, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत की जनसंख्या में अत्यधिक तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। यद्यपि भारत की जनसंख्या में तत्कालीन दो दशकों की अवधि में कमी दर्ज की गई है। जनसंख्या वृद्धि दर 1991–2000 में 21.54 प्रतिशत से गिरकर 2001–2011 में 17.64 प्रतिशत हो गई। इसके अलावा, भारत की प्रजनन दर 2000 में प्रति महिला 3.2 जन्मों की तुलना में 2016 में प्रति महिला 2.3 जन्मों तक गिर गई है। परंतु यह कमी संसाधनों की उपलबद्धता और वैश्विक जन्मदर से अभी भी अधिक है। यद्यपि जनसंख्या वृद्धि पूरे देश में एक समान नहीं है, जिसकी दर क्षेत्र से क्षेत्र मे भिन्नता लिए हुए है। उदाहरण के लिए सिक्किम में बिहार की तुलना में सबसे कम प्रजनन दर है जो भारत में सबसे ज्यादा है। परंतु सम्पूर्ण रूप में भारत को देखें तो जन्मदर बहुत अधिक है। जिस हेतु सरकार को जनसंख्या नीति की आवश्यकता प्रतीत होती है और उसी के सापेक्ष जनसंख्या नीति 2021 का विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

जनसंख्या नीति का उद्देश्य जनसंख्या विस्फोट को सुनियोजित तरीके से एक आदर्श जनसंख्या की अवस्था में लाना है। जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि से है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां देश की अर्थव्यवस्था जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का सामना नहीं कर सकती है। जाहिर है, जनसंख्या विस्फोट में सबसे बड़ा योगदान देने वाले राष्ट्र निर्धन राष्ट्र हैं जिन्हें अविकसित और विकासशील राष्ट्र कहा जाता है। भारत में, उत्तर प्रदेश राज्य जहां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वहीं लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। जनसंख्या विस्फोट किसी भी राष्ट्र में सामाजिक और आर्थिक बुराइयों को जन्म देता है क्योंकि बहुत अधिक जनसंख्या लोगों को गरीबी और अशिक्षा के जाल में फंसा रही है जो समस्या को और बढ़ा देती है। दिन के किसी भी समय, चाहे वह मेट्रो स्टेशन, हवाई अड्डा, रेलवे प्लेटफॉर्म, सड़क, राजमार्ग बस स्टॉप, शॉपिंग मॉल, बाजार, या यहां तक कि एक सामाजिक या धार्मिक सभा हो, भारत में हमेशा लोगों की भीड़ उमड़ती है।

जनसंख्या विस्फोट के कारण

इस जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर है। पहले, सीमित चिकित्सा सुविधाओं, युद्धों में मरने वाले लोगों और अन्य आपदाओं के कारण जन्म और मृत्यु दर के बीच संतुलन था। 2011 की जनगणना के अनुसार, जन्म दर वास्तव में कम हुई है लेकिन चिकित्सा प्रगति के कारण मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। निरक्षरता जनसंख्या वृद्धि का एक अन्य कारण है।

कम साक्षरता दर पारंपरिक, अंधविश्वासी और अज्ञानी लोगों की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए, केरल में साक्षरता दर बहुत अधिक है और यह उत्तर प्रदेश की तुलना में भारत की जनसंख्या का केवल 2.76 प्रतिशत है, जिसमें अधिकतम निरक्षरता दर है और यह जनसंख्या का 16.49 प्रतिशत है। शिक्षित लोग जन्म नियंत्रण के तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। परिवार नियोजन, कल्याणकारी कार्यक्रमों और नीतियों के वांछित परिणाम नहीं मिले हैं। जनसंख्या में वृद्धि सीमित बुनियादी ढांचे पर जबरदस्त दबाव डाल रही है और भारत की प्रगति को नकार रही है। मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों के अंधविश्वासी लोग सोचते हैं कि एक पुरुष बच्चा होने से उन्हें समृद्धि मिलेगी और इसलिए माता–पिता पर बच्चे के पैदा होने तक बच्चे पैदा करने का काफी दबाव होता है। इससे जनसंख्या विस्फोट होता है। इसी समस्या के निदान हेतु सरकार जनसंख्या नीति का मसौदा प्रस्तुत करती है।

जनसंख्या नीति 2021

विधेयक के मसौदे के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति दो बच्चों की नीति का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति किसी भी प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए अयोग्य होगा और उसे सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं से हटाने जैसे हतोत्साहन के अधीन होगा और राशन कार्ड पर चार तक की सीमा तय की जाएगी। यह निर्दिष्ट नहीं है कि किसी व्यक्ति को राज्य कल्याणकारी योजनाओं या केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं से रोक दिया जाएगा या नहीं। यह एक खुला क्लॉज है और इसका तात्पर्य है कि अगर कोई तीसरा बच्चा पैदा होता है तो उसे भोजन का अधिकार, आवास का अधिकार जैसे सामाजिक लाभ उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। केंद्र सरकार और राज्यों के तहत संचालित कई कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका पालन करना स्वाभाविक है और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र प्रत्येक व्यक्ति को वर्जित नहीं किया जा सकता है। जैसे आंगनबाड़ी और मध्याह्न भोजन योजनाएं। इन योजनाओं का उद्देश्य बाल भुखमरी और कुपोषण स निपटना है। राज्य की प्रजनन दर 27 प्रतिशत है जो बिहार के बाद देश में दूसरे नंबर पर है जिसकी प्रजनन दर 3.2 है जबकि यह आदर्श रूप से 2.1 प्रतिशत से कम होनी चाहिए। अनुमान यह है कि जबकि भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश रह सकता है, शायद एक दिन चीन पर भी हावी हो जाएगा, जनसंख्या धीरे–धीरे स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी। आंकड़ों में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में सीमित पारिस्थितिक और आर्थिक संसाधन हैं इसलिए यह आवश्यक और अत्यावश्यक है कि किफायती भोजन और सुरक्षित पेयजल, सभ्य आवास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच, आर्थिक आजीविका के अवसर, घरेलू खपत के लिए बिजली या बिजली और सुरक्षित जीवन सहित मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं का प्रावधान सभी नागरिकों के लिए सुलभ है और इस प्रकार दो बच्चों की नीति या जनसंख्या नियंत्रण होना अनिवार्य है।

निष्कर्ष

चीन के बाद, भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। वतमान में, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राष्ट्र है जो विश्व के महज 2.4 प्रतिशत भूमि क्षेत्र पर अवस्थित है और वैश्विक जनसंख्या के 17.5 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जिसका तात्पर्य है कि इस

ग्रह पर छह लोगों में से एक भारतीय है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 130 करोड़ नागरिकों वाला भारत 2024 तक चीन की 140 करोड़ की जनसंख्या को पीछे छोड़कर कर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र बन जाएगा। इस समस्या से निदान हेतु सरकार को सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। राष्ट्र का संपूर्ण विकास इस तथ्य पर निर्भर करता है कि जनसंख्या विस्फोट को कितने प्रभावी ढंग से रोका गया है। सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को परिवार नियोजन और कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर 'हम दो, हमारे दो' और 'छोटा परिवार, सुखी परिवार' जैसे नारों वाले होर्डिंग लगाए जाने चाहिए। इन नारों का मतलब है कि एक छोटा परिवार एक खुशहाल परिवार है और दो माता–पिता के लिए दो बच्चे हैं। गर्भनिरोधक गोलियों के उपयोग और परिवार नियोजन के तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों को गर्भ निरोधकों के निशुल्क वितरण में गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए और बच्चों की संख्या पर नियंत्रण को प्रोत्साहित करना चाहिए। महिलाओं को सशक्त बनाने और महिलाओं और लड़कियों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए और मनोरंजन के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

♦♦♦♦♦

- संदर्भ–सूची

- https://www.livelaw.in/pdf_upload/up-population-control-bill-draft-396420.pdf
- https://paa2007.princeton.edu/papers/7192
- http://mospi.nic.in/sites/default/files/Statistical_year_book_india_chapters/ch2.pdf

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

अकादमिक अनुसंधान केन्द्र भवन

गुरू तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली–110007

www.dcrc.du.ac.in office@dcrc.du.ac.in @dcrcofficial +91-11-27666281